कोविड -19 महामारी के दौरान पुलिस कार्यसम्पादन

व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रोजेक्ट पुस्तिका

मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी
भोपाल

इस पुस्तिका का परिचय व पृष्ठभूमि

यह पुस्तिका मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान प्रचलित प्रभावी पुलिस कार्य तथा सेवा प्रदाता कार्य प्रणालियों का पुलिस के मैदानी कार्य के आधार पर विवरण तथा विश्लेषण का दस्तावेजीकरण है। यह मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के द्वारा मैदानी कार्य को जिला प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान विकसित किया गया है।

मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी द्वारा उप पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुसार प्रदान किए जाने वाले प्रेक्टिकल प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में जिले में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक बैच 39, 40 तथा 41 बैच के अधिकारियों को विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्य, प्रेजेंटेशन, डिजर्टेशन कार्य तथा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निर्मित करने हेतु दिए गए थे। उक्त कार्य प्रोजेक्ट रिपोर्ट व प्रेजेंटेशन के रूप में संपादित किए जाने थे । इस हेतु कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में पुलिस के द्वारा कोविड-19 महामारी के इस दौरान सामान्य पुलिसिंग कार्य, लॉकडाउन से संबंधित कार्य, व्यवस्थाएं तथा जन सुरक्षा तथा जन सहायता हेतु किए जाने वाले कार्य का जिलेवार विश्लेषण करने का तथा उन्हें बेस्ट प्रेक्टिस कार्य के रूप में संकलन करने के निर्देश दिए गए थे । इस हेतु संबंधित प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने-अपने प्रशिक्षण जिले के कार्य का बारीकी से विश्लेषण करने हेतु निर्देशित किया गया।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के कुल 52 जिलों में समय-समय पर जिला प्रशिक्षण हेतु 128 प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने-अपने प्रशिक्षण जिले की कार्य व्यवस्थाओं का वर्णन तथा विश्लेषण किया गया । मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी द्वारा बनाए गए प्रशिक्षण मूल्यांकन चैनल के माध्यम से इन प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रेजेंटेशन रिपोर्ट को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन पद्धति के माध्यम से सुना गया तथा संबंधित प्रश्नों का वायदा भी लिया गया। इन्हीं प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान जिले की अन्य कार्य प्रणालियों का विवरण एवं विश्लेषण किया गया । उपरोक्त वर्णित तीनों बैच के लगभग 128 प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके मैदानी कार्यों की रिपोर्ट के आधार पर प्रेक्टिकल विषय में पैनल द्वारा मूल्यांकन का अंक प्रदान किए गए । मैदानी पुलिस कार्यप्रणाली का एक अद्भुत संकलन विषयवार रूप से प्रशिक्षुओं ने जिलेवार प्रस्तुत किया है, जो अकादमी के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन तथा रिसर्च रिपोर्ट के रूप में संवर्धित हुआ है। इसके पश्चात इन प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा निर्मित पुलिस कार्यप्रणाली के संग्रह को विषयवार प्रस्तुत करने हेतु अकादमी में प्रशिक्षणरत 42वें बैच के कुल 25 प्रशिक्षुओं को यह कार्य दिया गया कि वे मैदानी कार्यप्रणाली के संग्रह को तीन प्रमुख विषयवार थीम के अंतर्गत संग्रहित कर उनकी विश्लेषणात्मक पुस्तिका निर्मित करें । जो मैदानी कार्यप्रणाली की इन तीन प्रमुख विषयों पर निर्मित की गई है ।

1. "कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन में पुलिस व्यवस्था कार्य संपादन"
2. "मध्यप्रदेश में डकैती समस्या तथा नियंत्रण तथा पुलिस कार्यप्रणाली"
3. "समावेशी पुलिसिंग"

उपरोक्त संदर्भ में यह संकलन कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस कार्य प्रणालियों का मैदानी कार्य संपादन को एक पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है । इस संपूर्ण पुस्तिका के विश्लेषण का निर्माण जिले में प्रशिक्षणरत् 09 उप पुलिस अधीक्षक 1. यशस्वी शिंदे (उज्जैन), 2. रविंद्र राठी (बड़वानी), 3. पूजा पटेल (जबलपुर) 4.सुरभि मीणा (रायसेन), 5. भावना दांगी(सागर), 6.आशीष पटेल (अलीराजपुर), 7. अभिलाष कुमार भलावी (छतरपुर), 8. प्रतिभा शर्मा (मुरैना), 9.शुभा श्रीवास्तव (ग्वालियर) का विशेष योगदान है । इसके अतिरिक्त संकलन को तैयार करने में अकादमी में प्रशिक्षणरत् 42वें उप पुलिस अधीक्षक बैच के तीन प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक वर्षा सोलंकी, आरती शाक्य एवं अजय रिठौरिया ने इस संकलन के

संपादन में अपना विशिष्ट योगदान दिया। पुस्तक निर्माण करने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रश्मि पाण्डेय एवं उप पुलिस अधीक्षक चौधरी मदन मोहन समर का विशेष योगदान रहा।

यह संकलन पुलिस कार्यवाही का कोरोना महामारी के दौरान जमीन से जुड़े पुलिस व्यवस्थाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। यह पुस्तिका प्रशिक्षुओं द्वारा कोरोना महामारी के दौरान पुलिस कार्यप्रणाली में सेवा प्रदाता कार्य के संबंध में जनोन्मुखी कार्यपद्धतियों को आत्मसात करने हेतु की गई कार्यवाही का परिणाम है। जो कोरोना महामारी के दौरान पुलिस कार्यवाही का प्रभावी दस्तावेजीकरण है।

इस कार्य से संबंधित अकादमी के समस्त प्रशिक्षकगणों तथा प्रशिक्षु अधिकारियों के योगदान हेतु उनकी सराहना करते हुए भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की जाती है।

व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्पादक मंडल
म.प्र.पुलिस अकादमी,
भोपाल, म.प्र.

आभार

हम आभारी हैं, श्रीमती अरुणा मोहन राव विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) श्री राजेश चावला, निदेशक मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भोपाल श्रीमती अनुराधा शंकर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय भोपाल। श्री विनीत कपूर, उप निदेशक मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भोपाल, श्रीमती रश्मि पाण्डेय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण), हमारे मार्गदर्शक श्री मदन मोहन समर एवं सभी अधिकारियों के जिन्होंने हमें इस पुस्तक को तैयार करने के लिए प्रेरित किया। इनकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना इस पुस्तक का लेखन संभव नहीं था। हम आशा करते हैं कि भविष्य में हमें मिलने वाली चुनौतियों में जब भी हम कहीं आपके मार्गदर्शन हेतु याचना करेंगे आपका वरद्हस्त हमें प्राप्त होगा।

प्राक्कथन

मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल द्वारा विगत कुछ वर्षों के पास आउट प्रशिक्षुयों द्वारा जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण के उपरांत प्रस्तुत किए गए प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेशन जो उनके द्वारा जिलों में सीखी गई प्रक्रिया, आपराधिक चुनौतियां, विभिन्न पहलुओं का ज्ञान और अपने अनुभव का समावेश कर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। प्रस्तुत पुस्तिका जिसमें कुल 08 जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त उप पुलिस अधीक्षकों द्वारा वर्ष 2020-21 के कोविड-19 संक्रमण काल के अपने कार्यों एवं प्राप्त अनुभवों का जो प्रस्तुतीकरण किया गया था उसका समग्र विश्लेषण कर इस पुस्तक को तैयार किया गया है।

इस पुस्तक के निर्माण का उद्देश्य कोरोना जैसी अचानक आई महामारी एवं आपदा के समय पुलिस के समक्ष अकस्मात आई समस्याएं, तथा उनके समाधान और निराकरण को प्रस्तुत करना है। इस पुस्तक में यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि ऐसी आपदा के समय कैसे और किन विभागों के समन्वय किया जा सकता है तथा पुलिस को अपने कर्त्तव्यों के पालन के साथ–साथ अपनी छवि को सुधारने एवं उज्जवल बनाने हेतु क्या कदम उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस पुस्तक की रचना हेतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष जिन विद्वानों की सहायता हमें प्राप्त हुई है, हम उनके प्रति, और मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते है । इसमें विशेषरुप से हमें तात्कालीन अकादमी निदेशक श्रीमती अनुराधा शंकर जी, वर्तमान निदेशक श्री राजेश चावला सर, उप निदेशक डॉ. विनीत कपूर सर, परामर्श दाता चौधरी मदन मोहन सर एवं श्रीमती सुचित्रा वर्मा जी एवं हमारे पूर्व के सभी 09 प्रशिक्षु डीएसपी 1.सुश्री यशस्वी शिन्दे (उज्जैन) 2.श्री रविन्द्र राठी (बड़वानी) 3.सुश्री पूजा पटेल (जबलपुर) 4.श्रीमती सुरभि मीणा(रायसेन) 5.सुश्री भावना दांगी(सागर) 6.श्री आशीष पटेल(अलीराजपुर) 7.श्री अभिलाष कुमार भलावी (छतरपुर) 8.सुश्री प्रतिभा शर्मा (मुरैना) 9.सुश्री शुभा श्रीवास्तव (ग्वालियर) को सहयोग के लिए साधुवाद देते है।

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद प्रस्तुत पुस्तक में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है जिसके लिए हम आपके बहुमूल्य सुझाव एवं हमारी ओर से क्षमा प्रार्थी है। आशा है हमारा प्रयास सकारात्मक रूप से विभाग हेतु उपयोगी होगा। आपके प्रोत्साहन की आकांक्षा लिए हम.....

प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक (42वां बैच)

वर्षा सोलंकी

आरती शाक्य

अजय रिठौरिया

समन्वय एवं संयोजन
जिला रिपोर्ट सम्पादन
प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक
39, 40 एवं 41 वां बैच
सन् 2019-20

यशस्वी शिंदे (उज्जैन)
सुरभि मीणा (रायसेन)
अभिलाष कुमार भलावी (छतरपुर)

रविंद्र राठी (बड़वानी)
भावना दांगी (सागर)
प्रतिभा शर्मा (मुरैना)

पूजा पटेल (जबलपुर)
आशीष पटेल (अलीराजपुर)
शुभा श्रीवास्तव (ग्वालियर)

संकलन एवं कार्यरूप
प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक
42वां बैच
सन् 2020-21
वर्षा सोलंकी (खरगौन)
आरती शाक्य (भिंड)
अजय रिठौरिया (राजगढ़)

सम्पादन समन्वय

श्रीमती रश्मि पाण्डेय
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण)
मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल

श्री विनीत कपूर
उपनिदेशक
मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भोपाल

चौधरी मदन मोहन समर
प्रभारी जिला मॉनीटरिंग सेल
मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल

विधिक सहायता

श्रीमती सुचित्रा वर्मा
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल

सम्पादन सहयोग

मुद्रण सहयोग

श्री श्यामलाल पटैरिया
उपनिरीक्षक
मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल

आरक्षक अंकिता गंगराड़े
मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल

टंकण

आरक्षक ज्योति त्रिपाठी
मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल

अनुक्रमणिका

भाग 1

अध्याय 1- अभूतपूर्व संकट

1.1 कोरोना क्या है? 13
1.2 कहाँ से और कैसे आया? 14
1.3 संकट क्यों बना? 14
1.4 मध्यप्रदेश में कोरोना 14

अध्याय 2- लॉकडाउन

2.1 लॉकडाउन की आवश्यकता क्यों? 17
2.2 विदेशों में लॉकडाउन 17
2.3 भारत में लॉकडाउन 18
2.4 प्रावधान 19

अध्याय 3- चुनौतियाँ

3.1 जनता के लिए 20
3.2 मजदूरों के लिए 20
3.3 गरीबों के लिए 21
3.4 स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 21
3.5 व्यापारियों के लिए 21
3.6 पुलिस और प्रशासन के लिए 22

अध्याय 4- शोध कार्य प्रणाली

4.1 कैसे प्राप्त हुए? व समन्वय 23
4.2 जिलेवार आंकलन 23

भाग 2

अध्याय 5- प्रवासी मजदूरों की घर वापसी

5.1 अंतरराज्यीय सीमा प्रबंधन 26
5.2 भोजन प्रबंधन 26
5.3 मार्ग प्रबंधन 27

अध्याय 6- समस्या समाधान 28

भाग 3

अध्याय 7- पुलिस की समग्र भूमिका

7.1 सेवात्मक भूमिका 31
7.2 नियंत्रणात्मक भूमिका 32

अध्याय 8- कोरोना वारियर्स और पुलिस का बलिदान

8.1 कार्य सम्पादन का जोखिम 33
8.2 सेवा सर्वोपरि 33
8.3 प्रणाम शहीदों को 33

अध्याय 9- बदलाव की बयार

9.1 पुलिस संस्कृति/उपसंस्कृति में बदलाव 37
9.2 पुलिस की नवीन छवि 37
9.3 पुलिस की नवीन स्वरूप 37
9.4 समाजोन्मुखी पुलिस 38
9.5 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 38
9.6 पुलिस का अन्य विभागों व संगठनों से समन्वय व एकजुटता 38
9.7 जन जागरूकता 39
9.8 कार्यक्षेत्र की व्यापकता 40
9.9 पुलिस जनता संबंध 41
9.10 ऑन लाईन चालान पेश 41
9.11 ग्लोबल पुलिसिंग 41
9.12 तकनीकी ज्ञान का उपयोग 41
9.13 लोकतांत्रिक पुलिसिंग व समाजिक न्याय 42
9.14 समाजोन्मुखी सामुदायिक पुलिस का नया स्वरूप 42
9.15 पुलिस प्रशिक्षण में बदलाव 43

अध्याय 10- सतत् चुनौतियां व पुलिस की नई राह

10.1 पुलिसिंग की नई राह 44
10.2 महामारी से निपटने की हरदम तैयारी 44
10.3 सूचना तकनीक का उपयोग 44
10.4 कम्युनिटी पुलिसिंग को भविष्य की नई जिम्मेदारी 44
10.5 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों में नए भावों का जाग्रत होना 44
10.6 पुलिस और प्रशासन का संयुक्त कंट्रोल रूम 45
10.11 वैक्सीनेशन 45
10.12 मॉस्क का उपयोग 45
10.13 पुलिस को प्रशिक्षण 45
10.14 पुलिस हरदम तैयार 45

निष्कर्ष 46

कोरोना क्या है -

मनुष्य को अनेक बार विभिन्न घातक महामारियों का सामना करना पड़ा है लेकिन वर्तमान में सारी दुनिया को एक ऐसे वायरस ने त्रस्त किया है जिसका केवल नाम सुनकर ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। इस वायरस के कारण सब का जीवन मुश्किल में आ पड़ा है और अब तक यह पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस वायरस का नाम है – कोरोना वायरस।

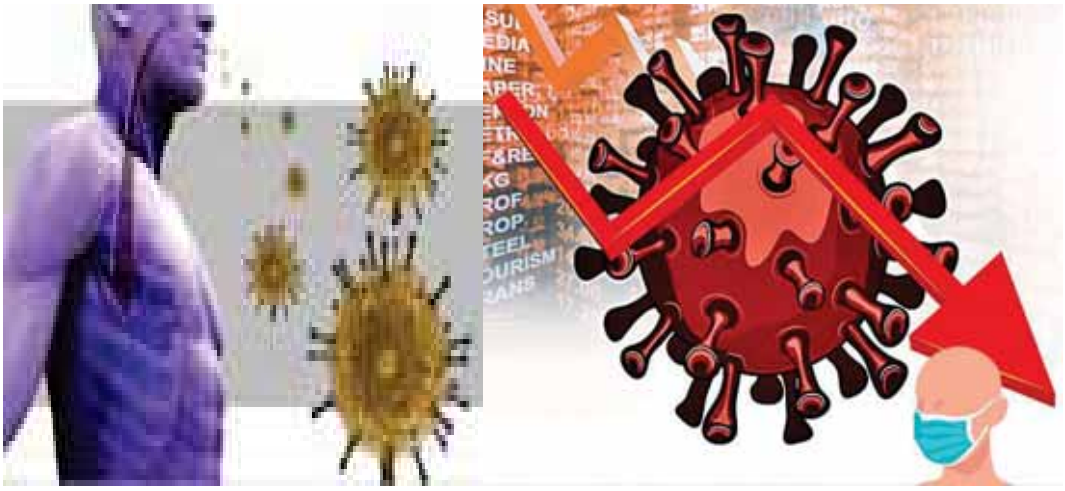

कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। यह अतिसूक्ष्म विषाणु है जिसका संक्रमण 31 दिसम्बर 2019 को चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ। कोरोना वायरस का प्रकोप तब सामने आया जब वुहान शहर में अज्ञात कारणों से निमोनिया के मामलों में अत्यधिक वृद्धि के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया गया।

तत्पश्चात WHO द्वारा इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। शीघ्र ही यह बीमारी चीन और दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गयी। पहले इस वायरस को SARS-COV-2 नाम दिया गया था जिसका बाद में COVID-19 नाम से अधिकारिक नामकरण किया गया। WHO के अनुसार कोविड-19 में CO का तात्पर्य कोरोना से ,VI का आशय विषाणु से तथा D की बीमारी को प्रदर्शित करता है साथ ही संख्या 19 वर्ष 2019 बीमारी के पता चलने के वर्ष को चिन्हित करता है साथ ही कोरोना वायरस की सतह पर क्राउन जैसे कई उभार होते है जो माइक्रोस्कोप से देखने पर कोरोना जैसे दिखते है। इसलिए इसे कोरोना वायरस भी कहा जाता है।

कोरोना वायरस वर्तमान में वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। यह एक नया वायरस है जिसकी पहचान 7 जनवरी 2020 को चीनी अधिकारियों ने की थी। क्योंकि वर्तमान वायरस किसी भी ज्ञात वायरस से मेल नहीं खाता है। यह नया वायरस मौजूदा समय में भारत सहित दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर चुनौती बना है। अब संपूर्ण विश्व में इसका प्रभाव स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है। ध्यातव्य है कि इस खतरनाक वायरस के कारण संपूर्ण दुनिया में अब तक 25,44,822 (फरवरी 2021 तक) लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यह सभी देशों में फैल गया है।

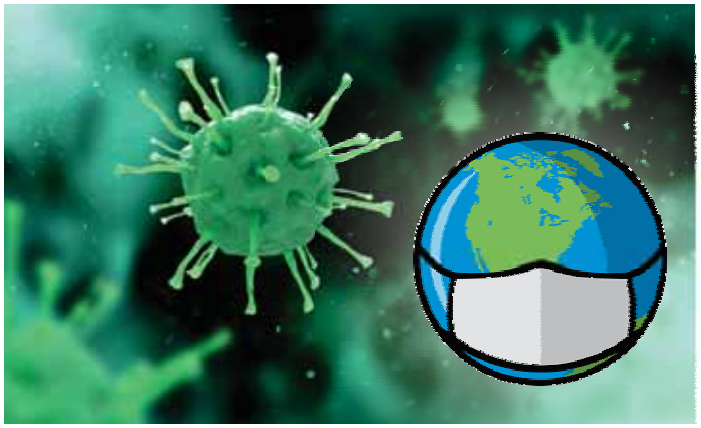

कोरोना कहाँ से और कैसे आया -

पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान से हुई कोरोनावायरस से फरवरी 2021 तक पूरे विश्व में 11 करोड 48 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। चीन के हुबेई प्रांत के विषय में कोरोना वायरस का पहला मामला 17 नवंबर 2021 को सामने आया था जिसमें 55 वर्षीय व्यक्ति इससे संक्रमित हुआ था। इसकी पहचान चीन में उजागर नहीं की गई। आधिकारिक तौर पर कोरोना संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि 8 दिसम्बर 2021 को की। साथ ही बताया की यह संक्रमण वुहान के हुआन सीफ़ूड मार्केट से फैला है।

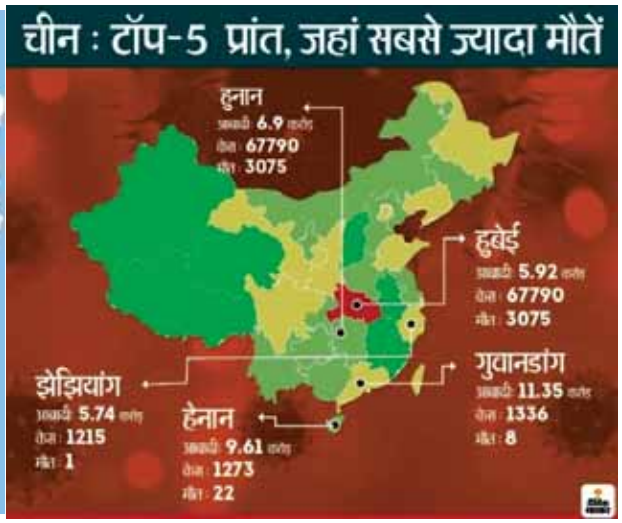

भारत में कोरोना वायरस की पहली मरीज 30 जनवरी 2020 को मिली। चीन के वुहान में पढ़ने वाली केरल की एक मेडिकल स्टूडेंट से भारत में कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई। अब तक भारत में लगभग 1 करोड़ 10 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले में देखें गए हैं जिनमें से 1 लाख 57 हज़ार लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है किंतु भारत द्वारा अपनाए जा रहे सुरक्षात्मक एवं निवारक उपायों के फलस्वरुप वर्तमान में कोरोना के संक्रमण में निरंतर कमी दर्ज की जा रही है।

कोरोना संकट क्यों बना ?

कोरोना वायरस संपूर्ण विश्व के लिए संकट एवं गंभीर चुनौती के रूप में उभरा हैं। यह वायरस एक नया वायरस था जिससे संक्रमण के फलस्वरुप इसे रोकने के लिये अपनाया जाने वाला कोई इलाज नहीं था। डब्ल्यूएचओ के अनुसार इस वायरस के सामान्य लक्षणों में बुखार खांसी और सांस की तकलीफ जैसी शारीरिक समस्याएं शामिल हैं, वहीं गंभीर संक्रमण में निमोनिया किडनी का फेल होना जिससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है जैसे घातक परिणाम हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्वीकरण के कारण आपसी संपर्क बढ़ने से पूरा विश्व इस गम्भीर महामारी के प्रति सुभेद्य हो गया है। विश्व में विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों के मध्य में अंत:निर्भरता में वृद्धि स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनकर खड़ी हुई।स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का प्राथमिक उपचार क्वारंटाइन आइसोलेशन विधि है, साथ ही वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई देशों में लॉक डाउन कर दिया गया जिससे लोगों के आवागमन उनके रोजगार खानपान की बुनियादी जरूरत में अवरोध उत्पन्न होने से यह संकट का रूप धारण करता गया।

भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है जहाँ अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, गरीबी, बेरोजगारी के कारण लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप यह संकट अत्यधिक गहरता गया । मजदूरों को रोजगार प्राप्त न होने से वह अत्यधिक संख्या में अपने शहरों और गाँवों की ओर जाने लगे । भोजन की अनुपलब्धता व बुनीयादी जरूरतों के अभाव में जीवन का संकट और बढ़ गया ।

मध्यप्रदेश में कोरोना

मध्यप्रदेश में कोरोना की शुरूआत–

पूरी दुनिया में फैली कोविड –19 की दहशत से मध्यप्रदेश में भी कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की संभावना बनी हुयी थी। देश के मध्य भाग में स्थित होने के कारण रेल यातायात और सड़क मार्ग से आने जाने वाले लोगों का प्रदेश से होकर गुजरना तथा उससे संक्रमण का खतरा अत्यंत संवेदनशील स्थिति में पहुंच चुका था। प्रदेश में इसे रोकने के भरसक प्रयास किये जा रहे थे। कोरोना गाईड लाइन का पालन अनिवार्य कर दिया गया था। मॉस्क और सेनिटाईज़र आवश्यक कर जागरुकता लाने का प्रयास किया जा रहा था। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही थी। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अपनाये जा रहे समस्त सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद 20 मार्च 2020 को जबलपुर में 04

कोरोना संक्रमित मामलों के सामने आने से मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरूआत हुयी। ये सभी लोग विदेशों से यात्रा कर मध्यप्रदेश लौटे थे। जिसमें एक ही परिवार के तीन लोग छुट्टी मनाने दुबई गए हुए थे। एक अन्य व्यक्ति जर्मनी से वापस लौटा था। इस तरह मध्यप्रदेश में भी कोरोना महामारी का प्रवेश अन्ततः हो ही गया। प्रदेश के लिये यह दुर्भाग्यशाली था। उसके बाद लगातार प्रदेश को कोरोना संक्रमण से युद्ध स्तर पर जूझना पड़ा।

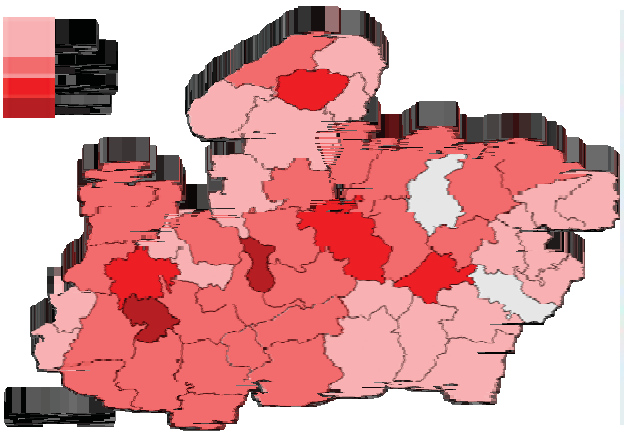

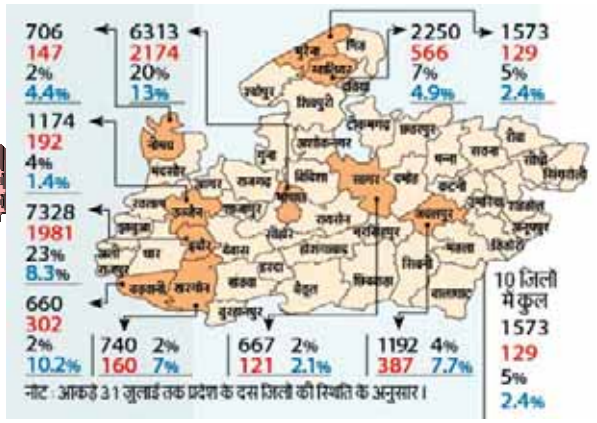

मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रकोप कैसे बड़ा

म.प्र. में कोरोना संक्रमण का प्रकोप धीरे – धीरे बढ़ता गया। 20 मार्च 2020 से4 केस से कोरोना संक्रमण की शुरूआत हुयी जो 24 फरवरी 2021 तक 2,59,969 लोगों में फैल चुका है। म.प्र. कोरोना के संक्रमण बढ़ने के कारणों में विदेशों से आने वाले देशवासी, मजदूरों एवं प्रवासियों का पलायन तथा अत्यधिक कोरोना संक्रमित राज्यों जैसे महाराष्ट्र से लोगों की आवाजाही से संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गयी। शुरूआत में म.प्र. के सभी बड़े शहरों जबलपुर, ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल में संक्रमण की शुरूआत हुयी। बाद में यह सभी जिले में फैल गया

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आँकड़े

दिनांक	कोरोना केस
20-Mar	4
31-Mar	47
30-Apr	2561
31-May	7891
30-Jun	13186
31-Jul	30968
31-Aug	62433
30-Sep	126043
30-Oct	170690
30-Nov	203231

हमारे चिन्हित जिलों में कोरोना संक्रमण

म.प्र. के चिन्हित 8 जिले, जिनमें कोरोना ड्यिूटी के दौरान पदस्थ प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा कोरोना महामारी को अत्यंत नजदीक से देखा व अपने किये गये अनुभव एवं कार्यों के माध्यम से इस महामारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जिले ग्वालियर, मुरैना, बड़वानी, सागर, उज्जैन, रायसेन, जबलपुर, अलीराजपुर, छतरपुर हैं। यदि हम देखें तो मध्यप्रदेश के सभी भौगोलिक क्षेत्र इस अध्ययन में सम्मिलित हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अध्ययन को प्रदेश के समग्र अध्ययन की श्रेणी में रखा जा सकता है।

जिला ग्वालियर

ग्वालियर जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 8 मई 2020 को डबरा में रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग से सामने आया। जिसके पश्चात् उन्हें डबरा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। किन्तु उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार न होने से 10 मई को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। इसके पश्चात् जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते गए। जिले में जुलाई तक कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या 2037 हो गयी थी। देश और प्रदेश की तुलना में निम्न चार्ट द्वारा हम ग्वालियर जिले की स्थिति को समझ सकते हैं।

	TOTAL CASES	ACTIVE CASES	RECOVERED CASES	DEATH
INDIA	14,82,386	4,95,419	9,53,096	33,448
M.P.	28,589	7,978	19,791	820
GWALIOR	2,037	571	1,455	11

जिला बड़वानी

बड़वानी जिले का पहला कोरोना संक्रमित व्यक्ति सेंधवा में तबलीगी जमात से 58 वर्षीय बुजुर्ग था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। बड़वानी जिले में पहला संक्रमण 2 अप्रैल 2020 को मिला, इसके पश्चात् जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ गया।

जिला सागर

सागर जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 25 वर्षीय युवक में सामने आया।यह युवक कृष्णगंज वार्ड का निवासी था। जिसे 7 अप्रैल 2020 को सर्दी, खाँसी और तेज बुखार के कारण आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। कोरोना के लक्षण पाते हुए इसके सैंपल जाँच के लिए भोपाल एम्स भेजे गए थे जंहा उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

जिला रायसेन

रायसेन में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 9 अप्रैल 2020 को सामने आया। कोरोना पॉजिटिव पाया गया युवक शहर में चाय की दुकान चलता था। अतः कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही कलेक्टर ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। पेशेंट के घर के आसपास पुलिस लगाकर पूरा इलाका सील कर दिया गया था साथ ही उसके परिवार और उनके संपर्क में आये लोगों की भी जाँच की गई।

जिला जबलपुर

20 मार्च 2020 को जबलपुर में 04 कोरोना संक्रमित मामलों के सामने आने से कोरोना संक्रमण की शुरूआत हुयी। ये सभी लोग विदेशों से यात्रा कर जबलपुर लौटे थे। जिसमें एक ही परिवार के तीन लोग छुट्टी मनाने दुबई गए हुए थे। एक अन्य व्यक्ति जर्मनी से वापस लौटा था।

जिला उज्जैन

उज्जैन में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 25 मार्च 2020 को सामने आया। इसमें एक 65 वर्षीय महिला संक्रमित हुई थी जिन्हें इंदौर के एम वाय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

जिला मुरैना

मुरैना जिले में कोरोना संक्रमण का प्रथम मामला 17 मार्च 2020 को सामने आया जिसमें दुबई से लौटे दंपत्ति में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। इसके बाद मुरैना जिले में संक्रमण की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अगस्त माह तक जिले में 1573 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिनमें 75 दुकानदार भी संक्रमित पाए गए, किंतु मुरैना जिले में रिकवरी रेट 46.33% होने से ज्यादातर लोग ठीक हुए।

COVID STATUS MORENA -	
Total Positive Case	1573
Total Active	161(09 DEATH)
Total Recovered	1548
Total Containment Area	580
Total Sampled	27,900

अध्याय-२ लॉकडाउन

2.1 लॉकडाउन की आवश्यकता क्यों ?

कोरोना वायरस का विश्व में तीव्रता से प्रसार सभी देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था, क्योंकि किसी भी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति अथवा सतह के पास पहुंचने से दूसरा व्यक्ति संक्रमित होता है तथा बाद में वह व्यक्ति वायरस का वाहक बन जाता है। द्वितीय अवस्था में लोकल ट्रांसमिशन से संक्रमित व्यक्ति अपने परिवार परिजनों के संपर्क में आने से उन्हें भी संक्रमित कर सकता है। वहीं जब लोकल ट्रांसमिशन किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में श्रृंखलाबद्ध रूप से तेजी से फैलता है तो इसे सामुदायिक ट्रांसमिशन कहते हैं, जो कि एक खतरनाक अवस्था है। संक्रमण की अंतिम अवस्था में प्रभावित व्यक्तियोंकी बड़े पैमाने पर मृत्यु होने लगती है। चीन, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान तृतीय अवस्था को पारकर चतुर्थ अवस्था में पहुंच गये थे, अतः कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इन सभी देशों द्वारा लॉकडाउन लगाया गया।

कोरोना वायरस की विभीषिका को देखते हुए भारत ने भी मानवीय गतिविधियों पर पूर्णता प्रतिबंध लगाने के लिए लॉकडाउन का विकल्प अपनाया गया। लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है जिसे किसी आपदा के समय राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागू किया जाता है। लॉकडाउन में लोगों से घर में रहने का आह्वान और अनुरोध किया जाता है एवं जरूरी सेवाओं के अलावा सारी सेवाएं बंद कर दी जाती है जिसमें कार्यालय दुकानें, फैक्ट्रियों, परिवहन सुविधा आदि शामिल है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से चलती रहती किंतु सरकार द्वारा शासकीय आदेशों के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है।

2.2 विदेशों में लॉकडाउन

भारत के साथ ही दुनिया के अधिकांश देशों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा था। अंतरराष्ट्रीय वायुयान उड़ानों में यात्राओं के दौरान कोरोना वायरस फैलने लगा था। विश्व के सभी देशों में इसे रोकना बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। इसका एक ही उपाय था कि लोगों को आपस में संपर्क से कैसे रोका जा सके। अतः विश्व से सभी देशों ने अपने-अपने स्तर पर लॉकडाउन के विकल्प को अपनाया। इसका प्रसार भयावय रूप लेकर मानव से मानव में हो रहा था, अतः इस प्रकार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए मानवीय गतिविधियों को रोकना अति आवश्यक था। इसी क्रम में विश्व के विभिन्न देशों में लॉकडाउन लगाया गया। चीन पहला देश था जिसने कोरोना संक्रमण रोकने हेतु लॉकडाउन लागू किया। शी जिनपिंग द्वारा 23 जनवरी 2020 को वुहान और अन्य शहरों में लॉकडाउन किये जाने का आदेश जारी किया गया। वहीं इटली के प्रधानमंत्री ने 9 मार्च 2020 को देश में बढ़ती कोविड -19 महामारी को रोकने हेतु लॉकडाउन लागू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों में भी कोरोना संक्रमणको रोकने हेतु नागरिकों से घरों में रहने की अपील की गई। यूएसए के प्यूटो रिको में सर्वप्रथम 15 मार्च 2020 को वहां के गवर्नर द्वारा 'स्टे-होम' का आदेश जारी किया जिसमें सुबह 5:00 बजे से रात 9:00 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों को बंद रखा गया। वहीं न्यूयार्क गवर्नर ने 20 मार्च 2020 को लॉकडाउन का आदेश जारी किया। न्यूजर्सी में 21 मार्च 2020 एवं अन्य राज्यों में इसी प्रकार समय-समय पर प्रतिबंधित आदेश जारी किए।

अन्य देशों में लॉकडाउन

इटली - 09 मार्च 2020 से 18 मई 2020
मैक्सिको - 23 मार्च 2020 से 01 जून 2020
न्यूज़ीलैण्ड - 26 मार्च 2020 से 14 मई 2020
साउथ अफ्रीका - 26 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2020
पाकिस्तान - 24 मार्च 2020 से 09 मई 2020
बांग्लादेश - 26 मार्च 2020 से 16 मई 2020

2.3 भारत में लॉकडाउन

भारत में भी महामारी के प्रकोप से बचने हेतु लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन को एपिडमिक डीसीज़ एक्ट, 1897 के तहत लागू किया जाता है। ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू है। यह अधिनियम विशेष प्रावधान करता है, जो बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने और रोकथाम के उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक है।

22 मार्च को भारत सरकार ने देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 82 जिले को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया। 22 मार्च को भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया। वहीं 24 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस से निपटने के लिए पूरे भारत में 21 दिनों के लिए आधी रात से लॉक डाउन करने का आदेश दिया, जिसमें 14 अप्रैल तक लोगों को घर से ना निकलने को कहा था हालांकि लॉकडाउन होने के बाद भी जरूरी चीजों के लिए दुकानें व मेडिकल स्टोर खुले थे 14 अप्रैल सुबह 10:00 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाकर 3 मई तक करने का फैसला लिया और अधिक सख्त नियम बनाए गए। साथ ही कहा कि जहां नए कोरोना मामले सामने नहीं आएंगे वहां लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाएगी। इस तरह भारत में 5 चरणों में लॉकडाउन लगाया गया।

प्रथम चरण 25 मार्च 2020 - 14 अप्रैल 2020 (21 दिन)
द्वितीय चरण 15 अप्रैल 2020 - 3 मई 2020 (19 दिन)
तृतीय चरण 04 मई 2020 - 17 मई 2020 (14 दिन)
चतुर्थ चरण 18 मई 2020 - 31 मई 2020 (14 दिन)
पांचवा चरण 1 जून 2020 - 30 जून 2020 (30 दिन)

इस प्रकार 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक कुल 98 अर्थात तीन माह से भी अधिक समय तक लॉक डाउन किया गया। इस दौरान देश की समस्त गतिविधियां स्थगित हो गईं। मानव सभ्यता के लिए यह बेहद कठिन समय रहा है।

2.4 लॉकडाउन क्या है एवं लॉकडाउन संबंधी प्रावधान

लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है, जिसे किसी आपदा के समय राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागू किया जाता है। लॉकडाउन संबंधी प्रावधान एपिडमिक डिजीज़ एक्ट,1897 की **धारा 2** के अनुसार-"जब राज्य सरकार को यह समाधान हो जाए कि पूरे राज्य या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है, या होने की आशंका हो और मौजूदा विधि के साधारण उपबंध इसके लिये पर्याप्त नहीं हैं, तो वह ऐसे उपाय कर सकेगी या ऐसे उपाय करने के लिये किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी या उसके लिये उसे सशक्त कर सकेगी और जनता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा अनुपालन करने के लिये किसी सूचना द्वारा ऐसे अस्थायी विनियम विहित कर सकेगी जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिये आवश्यक समझे तथा वह यह भी अवधारित कर सकेगी कि उपगत व्यय (इसके अंतर्गत प्रतिकर, यदि कोई हो तो) किस रीति से और किसके द्वारा चुकाए जाएंगे"

अधिनियम की **धारा-2 ए** केंद्र सरकार को महामारी के प्रसार को रोकने के लिये कदम उठाने का अधिकार देती है। यह सरकार को किसी भी जहाज़ के आने या किसी बंदरगाह को छोड़ने और देश में आने या जाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान करता है।

अधिनियम की **धारा-3** के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अनुसार, किसी भी विनियमन या आदेश की अवज्ञा करने पर दंड का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम की **धारा-4** के अनुसार, अधिनियम का कार्यान्वयन कराने वाले अधिकारियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

लॉकडाउन के समय जारी किये गए अनिवार्य शासकीय दिशा-निर्देश

केंद्र सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, या जिन विभागों में संभव हो वहाँ कर्मचारी घर से कार्य कर सकते हैं। आपातकालीन सेवाओं से संबंधित विभाग, जैसे- सैन्य कार्यालय, केंद्रीय पुलिस बल से संबंधित कार्यालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आपदा प्रबंधन, विद्युत उत्पादन एवं ट्रांसमिशन से संबंधित विभाग, पोस्ट ऑफिस, राष्ट्रीय सूचना से संबंधित केंद्र अपवादस्वरूप खुले रहेंगे।

आपातकालीन सेवाओं से संबंधित विभाग जैसे- पुलिस विभाग, होमगार्ड कार्यालय, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, विद्युत विभाग, जल एवं सफाई से संबंधित विभाग, जेल विभाग खुले रहेंगे। इसके साथ ही ज़िला प्रशासन से संबंधित विभाग और कोषागार विभाग पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे।सभी मेडिकल स्टोर, क्लीनिक, टेस्टिंग लैब इत्यादि खुली रहेंगी।राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया ही कि उपर्युक्त आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कर्मचारियों को अनावश्यक न रोका जाए। अपवादस्वरूप, आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करने वाली तथा पुलिस व आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहन चलते रहेंगे।

स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सभी विभाग पूर्व की भांति खुले रहेंगे। अपवादस्वरूप राशन केंद्र या दुकानें, जनरल स्टोर, सब्जियों व दुग्ध उत्पादों से संबंधित दुकानें, जानवरों के चारे से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। बैंक, ए.टी.एम, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

स्थानीय निकायों में साफ़-सफाई से संबंधित विभाग के अतिरिक्त सभी विभाग बंद रहेंगे या घर से कार्य करेंगे। विभिन्न राज्यों से संबंधित सभी कार्यालय बंद रहेंगे या जिन विभागों में संभव हो वहाँ कर्मचारी घर से कार्य कर सकते हैं।सभी सरकारी व निज़ी वाणिज्यिक संगठन बंद रहेंगे। सभी प्रकार की परिवहन सेवाएँ बंद रहेंगी। सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, शोध संस्थान बंद रहेंगे।

सभी धार्मिक स्थल पूर्णतयः बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं होगी।सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल और मनोरंजन से संबंधित सरकारी व निज़ी आयोजन बंद रहेंगे।

यदि किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, तो किसी स्थिति में 20 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते हैं। सार्वजनिक स्थान पर विवाह समारोह नहीं होंगे। किसी भी निजी समारोह में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। जो लोग शामिल होंगे वे सभी कोविड नियमों का सख्ती से पालन करेंगे।

उन सभी लोगों को जो 15 फरवरी के बाद किसी देश की यात्रा कर भारत आए हैं, उन्हें होम आईसोलेशन या क्वारंटाइन रहना होगा। वे किसी भी दशा में अन्य लोगों के सम्पर्क में तब तक नहीं आयेंगे जब तक की यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि वे पूर्णतः सुरक्षित हैं।

इस प्रकार कोरोना महामारी और उसके दुष्प्रभाव से थमी हुई दुनिया को देखने की साक्षी बनी यह पीढ़ी जब कभी नई पीढ़ी को इसके किस्से बताएगी तो शायद ही कोई यकीन कर सकेगा कि एक दौर ऐसा भी आया था जब पूरी दुनिया अपने घरों तक ही सीमित हो गई थी।

अध्याय-3 चुनौतियां

जनता के लिए चुनौतियां -

जान है तो जहान है की तर्ज पर लागू किए गए लॉकडाउन में जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु घर पर ही रहने का आदेश दिया गया। जिससे लोगों के बड़ी संख्या में रोजगार समाप्त हुए जनता को अपनी दैनिक जरूरतों के सामान हेतु परेशान होना पड़ा। बसों और ट्रेनों के संचालन पर रोक होने से अपने गांव/घरों से दूर रहने वाले लोग अन्य शहरों में फंस गए जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर तथा छात्र भी शामिल थे। आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई और बड़ी संख्या में फैली अफवाहों के फलस्वरुप जमाखोरी की समस्या भी देखी गई, जिससे खाद्य सामग्रियों की कमी हुई। जनता की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है तथा फिजिकल एक्टिविटी भी कम होने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आई'।

मजदूरों के लिए चुनौतियां

कोरोना काल में 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के पश्चात बिना किसी पूर्व घोषणा के 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिन के लॉकडाउन के पश्चात सर्वाधिक चुनौतियों का सामना प्रवासी मजदूरों को करना पड़ा। प्रवासी मजदूरों पर मानो समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा था उनके लिए खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया था। कारखाने, निर्माण कार्य, शैक्षणिक संस्थान, मनोरंजन संबंधित संस्थान इत्यादि में काम करने वाले मजदूर देशव्यापी बंदी से अपने रोजगार का साधन गवां चुके थे। लॉक डाउन की अवधि पुनः क्रमशः बढ़ते जाने से मजदूरों के रहने की व्यवस्था तथा परिवार के पालन-पोषण के सभी रास्ते बंद होते गए। इन सभी मुश्किलों से परेशान होकर वह अपने घर, गांव और शहरों की ओर पैदल यात्रा करने को मजबूर हुए। जहां हर राज्य और जिले की सीमाओं पर भी उन्हें क्वारंटाइन सेंटरों में रहकर परेशानियों का सामना करना पड़ा। चूँकि मजदूर अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले इलाकों में निवास करते हैं तो इनके लिए सामाजिक दूरी का पालन करना भी बड़ी समस्या थी। इन मजदूरों के पास इतनी भी जमा पूंजी नहीं होती कि वे किसी आपदा के समय अपनी आकस्मिक जरूरतों को पूरा कर सकें। रोजगार का अभाव व भोजन समस्या चुनौतियां बनकर उभरे।

गरीबो के लिए चुनौतियां

गरीब वे वंचित वर्ग है जिन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं जुटाना भी मुश्किल होता है। इनके पास न तो रहने के लिए छत होती है, न ही खाने के लिए अच्छा खाना और न ही जीवनयापन करने के लिए स्थायी साधन। अतः लॉकडाउन के कारण इन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ी। कोरोना के बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने का आव्हान किया जा रहा था किन्तु गरीब परिवार एक कमरे एवं अत्यधिक घनत्व वाले स्थानों पर रहते हैं जिसके कारण सामाजिक दूरी बनाये रखना इनके लिए चुनौती बन गया। रोजगार के अवसर समाप्त हुए जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हुआ। गरीबों के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं भी चुनौती बनकर सामने आई। अधिक समय तक घरो में रहने से झगड़े एवं महिलाओं के प्रति शोषण की समस्या भी उत्पन्न हुई। बच्चों के पालन पोषण के लिए भी कई नई चुनौतिया गरीबों को उठानी पड़ीं।

स्वास्थ्यकर्मियों के लिए चुनौतियां

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त साधनों का ना होना एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा। शुरूआती समय में सभी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की सप्लाई बहुत कम थी। अनुसंधान के क्षेत्र की कमी, डॉक्टरों को पी पी किट, लोगों के द्वारा डॉक्टरों के सहयोग ना करना जैसे कि मध्यप्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमण के सैंपल के लिए आये चिकित्सकों पर पत्थर फेंके गए। जनता को महामारी के बारे में जानकारी का न होना। स्वास्थ्य से जुड़े लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से अलग से रहने की व्यवस्था न कर पाना। परिवार के साथ रहने में कोरोना संक्रमण उनके परिवार को हो सकता है इसका भय स्वास्थ्य कर्मियों में व्याप्त था। वही सबसे बड़ी समस्या थी कोरोना की किसी भी प्रकार की दवाइयों का उपलब्ध नहीं होना। वर्तमान में कोरोना वैक्सीन बन गई जिसे सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा।

व्यापारियों के लिए चुनौतियां

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना वायरस का हमला बड़ी मुसीबत बन कर उभरा। लॉकडाउन लगने से आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं के विक्रय में प्रतिबंध से व्यापारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दुकानें बंद रहने व आयन होने से व्यापारियों ने वेतन न दे पाने के कारण अपने कई मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया, जिससे वह बेरोजगार हुए। आयात निर्यात ना होने से व्यापारी आर्थिक रूप से कमजोर हुए साथ ही वह अपने स्टाक में रखे हुए सामान को भी नहीं बेच पाए। परिवहन व्यवस्था अवरुद्ध होने के कारण सामान की आपूर्ती नहीं हो सकी। इसके अलावा जिन व्यापारीयों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की गई जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हुए इसके कारण भारत को भी आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी।

पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौतियां

कोरोना वायरस से फैली महामारी ने दुनिया के साथ–साथ देश को भी हिलाकर रख दिया है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर आपातकाल की स्थिति निर्मित हो गयी। पुलिस और प्रशासन के लिए सर्वाधिक बड़ी चुनौती शांति व्यवस्था बनाये रखना था। इस आपातकाल से कैसे निपटा जाये इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए थे, क्योंकि लॉकडाउन भी एक नया प्रयोग था। पुलिस और प्रशासन के लिए लॉकडाउन का पालन करवाना, धारा 144 लागू करना, किसी इलाके को सील करने आदि की कवायद को मूर्त रूप देने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन के पास सुरक्षात्मक उपकरणों का भी अभाव रहा वहीं कोरोना पॉजिटिव को पकड़ने से लेकर अस्पताल तक पहुंचाने में पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी व कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए तथा उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जनता को समझाना व लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते समय भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल एवं आपदा के समय पुलिस और प्रशासन अपरिभाषित एवं अज्ञात शत्रु के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना नामक दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए तथा देश के रक्षा करने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी क्षमता से अपने कर्त्तव्य पर लगे रहे।

अध्याय-४ शोध कार्यप्रणाली

इस अचानक आई महामारी की भयावता तब और भी बढ़ जाती है जब कोविड-19 के बढ़ते आँकड़ों को देखते है, वहीं यही आँकड़े इसके डर को कम भी करते है जब इसकी गति धीमी हो जाती है और स्वस्थ होने की दर बढ़ती है। इस लघु शोध कार्य हेतु शोध कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए हमारे द्वारा प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के जिलेवार आंकड़ो का संधारण कर विश्लेषण किया गया हैं|साथ ही आवश्यक आंकड़ों को सरकार की वेबसाइट, इन्टरनेट और प्रोजेक्ट में शामिल जिलों के कंट्रोलरूम एवं अधिकारियों से संपर्क कर प्राप्त किए गए हैं|

आंकड़ों का संधारण-

कोरोना से संबंधित आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शासन ने अत्यधिक मेहनत की है तथा लगातार अभी भी इस कार्य में जुटें हुए हैं। जिला स्तर पर विशेष शाखा इस कार्य के लिए नामित है। जो प्राप्त कोरोना के एक्टिव केस, स्वस्थ हो चुके केस और जितनी मृत्यु हुई है कि सूची बनाकर SP के माध्यम से PHQ भोपाल को भेजते हैं जहाँ कोरोना सेल (PHQ) सभी प्राप्त आँकड़े जो जिलों से प्राप्त होते हैं उन्हें समन्वित करता है। बढ़ते केस की संख्या स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त की जाती है, जो कोविड-19 के टेस्ट की रिपोर्ट आजाने के बाद लिए जाते है।

प्रशासन भी इन केसेस की संख्या की सूची को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की सूची से मिलान करता है, ताकि कोई भी चूक न हो पाए। इसीप्रकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में जनसंख्या, क्षेत्र विस्तार आदि के आधार पर जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। जो इस प्रकार हैं-

कोरोना हेल्पलाईन सेंटर, क्वारेंटाइन सेंटर, समर्पित अस्पताल, फीवरसेंटर, भोजन व्यवस्था सेंटर, चेकपोस्ट, फिक्स पिकेट, स्वास्थ्य विभाग की सहायता के लिए टीम, पुलिस के आवास एवं भोजन के सेंटर, मजदूरों की संख्या, छात्रों की संख्या, मृतकों के परिवार को सहायता राशि, विभागों को प्रदान की गई राशि आदि भी मुख्य रूप से आँकड़ों में शामिल किया गया और प्रत्येक समाचार-पत्र के मुख्य पृष्ठ के बांयी ओर प्रतिदिन प्रकाशित किया जाने लगा।

कोविड-19 महामारी ने 27 जनवरी 2020 को भारत में अपने पैर पसार ने शुरू किए, इसी के चलते म.प्र. में 20 मार्च 2020 को कोविड-19 ने दस्तक दी, जब प्रदेश का पहले एक्टिव केस की पुष्टि जबलपुर में हुई। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में धीरे–धी एक्टिव केस के आने के बाद इसकी संख्या में वृद्धि तेज हो गई इस पुस्तिका के लेखन के समय प्रदेश में केस की कुल संख्या 258082 हो गई है, जिसमें एक्टिव केस 1856, रिकवर केस 252385 है वहीं मृतकों का आँकड़ा 3841 है।

जिलों के आधार पर पूरे प्रदेश के कोरोना से संबंधित आँकड़े इस प्रकार है–

कुल संक्रमित–258082

एक्टिव केस–1856

रिकवर्ड केस–252385

मृत्यु–3841

जिला	कुल केस	रिकवर्ड केस	मृत्यु	एक्टिव केस
आगर मालवा	664	651	10	03
अलीराजपुर	1299	1279	16	04
अनुपपूर	2108	2083	15	10
अशोकनगर	1135	1118	17	0
बालाघाट	3188	3164	14	10
बड़वानी	2940	2885	31	24
बैतूल	3651	3537	76	38
भिंड	1506	1496	10	0
भोपाल	43,296	42123	617	556
बुरहानपुर	875	846	27	02
छतरपुर	2110	2076	32	14

छिंदवाड़ा	2896	2822	46	28
दमोह	2824	2661	91	72
दतिया	1910	1881	20	09
देवास	2970	2937	27	06
धार	4146	4076	58	12
डिंडोरी	1025	1007	1	17
गुना	1556	1526	26	29
ग्वालियर	16,476	16219	228	8
हरदा	2147	2103	36	15
होशंगाबाद	3880	3804	61	15
इंदौर	58087	56820	927	340
जबलपुर	16468	16065	252	151
झाबुआ	2559	2501	27	31
कटनी	2272	2246	18	8
शहडोल	2988	2937	30	21
शाजापुर	1798	1767	22	9
शिवपुरी	1509	1476	16	17
श्योपुर	3647	3616	30	1
सीधी	2043	1999	13	31
सिंगरोली	1932	1873	26	33
टीकमगढ़	1312	1280	27	5
उज्जैन	5003	4849	104	50
उमरिया	1317	1297	18	2
विदिशा	3608	3530	71	7
राजगढ़	2452	2329	66	57
रतलाम	4751	4615	82	54
रीवा	4132	4090	35	7
सागर	5479	5282	151	46
सतना	3489	3443	42	4
सीहोर	2812	2751	48	13
सिवनी	1589	1577	10	2
कटनी	2272	2246	18	8
खंडवा	2354	2285	63	6
खरगोन	5465	5309	107	49
मंडला	1223	1212	10	1
मंदसौर	2851	2798	35	18
मुरैना	3235	3206	29	0
नरसिंहपुर	3531	3491	30	10
नीमच	3044	2999	37	8
निवाड़ी	685	679	3	3
पन्ना	1134	1120	4	10
रायसेन	2478	2428	46	4

म.प्र. में कोविड-19 से बचाव एवं संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु जिलेवार क्वारेंटाईन सेंटर बनाए गए, जो जिले की जनसंख्या, क्षेत्रफल, एक्टिव केस के आधार पर तय किए गए थे। इनकी कुल संख्या प्रदेश स्तर पर लगभग 260 थी,जो समय–समय पर परिस्थिति के अनुसार कम–ज्यादा होते रहे। वर्तमान में 30 जिलों में एक्टिव केस होने से तथा एक्टिव केसेस की संख्या में गिरावट होने से 120 सेंटर ही सुचारू रूप से जारी है। इनमें से कुछ इस प्रकार है –

क्रमांक	जिला	नाम (सेंटर)	फोन न.	रेंट	संबंधित व्यक्ति
1.	पन्ना	होटल डब्लू.एम्रोल्ड	9993505059		अरविंद शर्मा
2.	मण्डला	होटल विट्ठल इन्	9826332020		श्री जयु झा
3.	बालाघाट	होटल वैष्णवी	9424924266		श्री प्रभुस बुधेकर
4.	सतना	उमा रिसोर्ट	9424972873		अनिल अग्रहार
5.	भोपाल	द फर्न रेसीडेंसी	9425013894		अनुभव शर्मा
6.	विदिशा	होटल द प्राइड	8269089999		The pride
7.	होशंगाबाद	होटल आनंदम	9425310436		श्री चाणक्य बख्शी
8.	रीवा	द हेरिटेज रीवा	8839635181		अभिलाष सिंह
9.	ग्वालियर	द सेन्ट्रल पार्क	0751-402440		श्री प्रिताम खन्ना
10.	होशंगाबाद	द मनोरम होटल	9425039669		श्री चेतन गोठी
12.	अशोकनगर	होटल तानाबाना	7987785199		सुनील सिंह मारव
13.	ग्वालियर	ताज उषाकिरण	0751-2444000		श्री विवेक शर्मा
14.	ग्वालियर	सीता मनार	9425118475		श्री राजीव सक्सेना
15.	निवाड़ी	शीशमहल	9424796799		श्री नवीन शर्मा
16.	पन्ना	शानवी लैंडमार्क	9893334364		आशीष सोनी
17.	झाबुआ	शांति निकेतन	7392244417		जितेन्द्र बबेल
18.	जबलपुर	सत्या अशोका होटल	9425328698		श्री अजय ग्रोवर
19.	भोपाल	सार्थक होटल	0755- 4023200		सार्थक

उपरोक्त सूची में क्वारेंटाईन सेंटर में रहने का अब चार्ज लिया जा रहा, और ये सेंटर्स निजी हो गए है। जबकि संक्रमण फैलने के शुरूआती दौर से लेकर इसके चरम पर पहुँचने के बाद तक ये सेंटर प्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित होते आए। जिनमें संक्रमित सहित आवश्यकता होने पर उनके परिजनों को भी रखा जाता था (जो संक्रमित होने के संदिग्ध होते थे)। इन सेंटर्स में संक्रमित व्यक्तियों को भोजन, दवाई भी प्रदान की जाती है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में इन सेंटरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ–साथ पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की भी समय- समय पर डियूटी लगाई जाती है।साथ ही प्रत्येक जिले में लॉकडाउन के पालन हेतु एवं संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिलों की सीमा, अन्य राज्यों की सीमाओं जिले के हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर पुलिस चैक पोस्ट एवं फिक्स पिकेट्स भी लगाये गए। इनकी संख्या जिलेवार भिन्न–भिन्न थी जैसे –उज्जैन- 7,सीधी-5, छतरपुर-6,ग्वालियर-8, सागर-7, पन्ना- 5, मुरैना- 8, जबलपुर- 9

अध्याय-५ प्रवासी मजदूरों की घर वापसी

राज्य की यह बड़ी समस्या रही है प्रवासी मजदूरों की बहुतायात में पड़ोसी राज्यों में जाना और समय-समय पर अपने घरों में वापस आना। जब कोरोना तेजी से फैलने लगा और देश के हर क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया गया तब यह प्रवासी मजदूर जहां भी रहकर मजदूरी कर रहे थे, जैसे- कारखानों में, खेतों में, घरों में, छोटे-छोटे ठेले आदि पर वहां काम बंद हो जाने से और मालिकों द्वारा पूरी तरह से उन्हें अनदेखा कर उनकी किसी भी प्रकार से सहायता न करने से ये असहाय मजदूर किसी भी प्रकार से अपने घरों में वापस जाने के लिए अपने परिवार के साथ चल पड़े,क्योंकि लॉकडाउन के कारण बस, रेल आदि सभी यातायात के साधन भी बंद करवा दिए गए थे। तब ये मजदूर पैदल या साइकिल से ही 1000 से 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने को विवश हो गए।

अंतरराज्यीय सीमा प्रबंधन

मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है कि इसकी सीमा पांच अन्य राज्यों से मिलती है और आवागमन के लिए मार्गो का जाल भी प्रदेश को अन्य राज्यों से जोड़ता है। हमारे प्रदेश के मजदूर तो अपने घरों में जाने के लिए अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात से आ रहे थे साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों के मजदूर मध्य प्रदेश से होकर अपने गृह राज्य में जाना चाहते थे। ऐसे में विशेष रूप से बड़वानी, मुरैना, अलीराजपुर, जैसे सीमावर्ती जिलों में सीमा प्रबंधन में बहुत अधिक समस्याएं आई। प्रदेश में प्रवेश बंद होने से आने वालोंको रोकना, उनके मित्रों से निपटना, उनके रुकने और भोजन आदि का प्रबंधन भी प्रशासन के साथ ही पुलिस के कंधे पर ही था।राज्य एवं केंद्र दोनों ही सरकारों का कोई स्पष्ट निर्णय इन लोगों के संबंध में न होने से यह समस्या और भी विकराल होती जा रही थी। बड़वानी जिले के महाराष्ट्र बॉर्डर पर बिजासन घाट पर NH 3 से आने वाली एक बहुत बड़ी संख्या को प्रदेश में आने से रोका गया तो वह लोग कहीं रोड पर और कहीं आसपास की पहाड़ी पर बैठकर भूखे-प्यासे हैरान परेशान होने लगे। इस कारण कई बार उनके विद्रोह का सामना भी पुलिस को करना पड़ा। इतना ही नहीं जब राज्य सरकार ने उन्हें खाना दिया और अपने गंतव्य राज्य की सीमाओं तक वाहनों द्वारा भिजवाया गया तो एक नई समस्या उभर कर आई, उन राज्यों ने अपने प्रदेश के लोगों को प्रवेश नहीं दिया और इस प्रकार उसी की वजह से मुरैना, भिंड, शिवपुरी, निवाड़ी आदि जिलों में मजदूरों की बड़ी संख्या सीमा पर फैसले की प्रतीक्षा में रुकी रही जिसका प्रबंधन में प्रदेश की पुलिस को ही करना पड़ा। सीमा का प्रबंधन निम्न रूप से किया -

1. 24 घंटे चेकिंग पॉइंट डीएम द्वारा प्रदान पास चेक करना।
2. सीमा पर पहुंचने वालों को शासन के नियमों से अवगत कराना।

भोजन प्रबंधन

महाराष्ट्र की सीमा पर दक्षिणी राज्यों से आने वाले मजदूरों को बड़ी संख्या में रोका गया जहां पर उनके भोजन-पानी की व्यवस्था में विभागों के साथ-साथ बिजासन माता मंदिर प्रबंधन, सेवा भारती संस्था, वैश्य समाज मंडल तथा भीलट देव सेवा समिति के सहयोग से की गई। यहां प्रतिदिन लगभग 30 क्विंटल राशन का उपयोग भोजन तैयार करने हेतु किया जाता रहा। भोजन पर्याप्त मात्रा में अलग-अलग स्थानों पर तैयार किया जाता था, जहां सफाई के साथ-साथ संक्रमण से सुरक्षा के उपायों का भी पूरा ध्यान रखा गया। तैयार भोजन को प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पुलिस के द्वारा बिजासन माता मंदिर क्षेत्र में लाया जाकर वितरण किया जाता था।भोजन बैठाकर भी करवाया गया और उसके पैकेट तैयार कर वितरित किए गए।जिन्हें मजदूरों ने अपने साथ रख लिए ताकि आगे उन्हें यह भोजन काम आ सके। इसकी संपूर्ण व्यवस्था

जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस की भी रही। यहां भोजन सामग्री की पूर्ति के लिए ड्यूटी पर लगे पुलिस के आला अधिकारी कर्मचारियों ने स्वयं के वेतन का एक बड़ा अंश स्वेच्छा से दान किया और मानव सेवा में अपना सर्वोत्तम योगदान प्रदान किया।

मार्ग प्रबंधन

महाराष्ट्र सीमा पर बिजासन घाट एक ऐसा स्थान है जो दक्षिण को उत्तर से जोड़ता है।यह सड़क द्वारा पैदल चलने वालों को भी मार्ग प्रदत्त कराता है। कोविड-19 के संक्रमण और लॉक डाउन की स्थिति में घर लौटते लाखों की संख्या में लोग इस स्थान पर आए थे। आश्चर्यजनक रूप से प्रतिदिन लगभग 10,000 से ज्यादा लोग यहां पहुंच रहे थे

चित्र: मार्ग प्रबंधन में पुलिस

प्रारंभ में आने वाले मजदूरों की कोविड सेन्टर में रहने, खाने-पीने व स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गई थी। प्रशासन द्वारा परिवहन विभाग से संपर्क कर आने वाले मजदूरों की संख्या के अनुसार बसों की व्यवस्था कराई गई। इसके लिए 450 से अधिक बसों ने इस काल में लगभग 3558 राउण्ड लगाये। बसों में सोशल डिस्टेंसिग का पालन कराते हुए संक्रमण से बचाव के उपाय बता कर बैठने की व्यवस्था की गई।

विभिन्न दक्षिणी राज्यों जैसे- कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से आने वाले मजदूरों, जिन्हें राजस्थान,उत्तर प्रदेश,झारखंड, बिहार आदि राज्यों में जाना था उन्हें उचित रास्ते का ज्ञान कराकर शासन द्वारा चलाई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था की गई। मध्यप्रदेश के देवास जिले में ट्रांसलेट पॉइंट की व्यवस्था की गई थी जहां से मजदूरों को सभी प्रदेशों को भेजा गया। राजस्थान के लिए नीमच में इसी प्रकार की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार भिंड, मुरैना में उत्तर प्रदेश, झारखंड जाने वालों के लिए केंद्र बनाए गए।

अध्याय-६ समस्या समाधान

इस वैश्विक महामारी के संकट से बचाव हेतु या यूँ कहा जाये कि इसके फैलाव को रोकने के लिए देश-विदेश एवं राज्यों के प्रत्येक जिले में भिन्न–भिन्न प्रकार के सुरक्षा उपाय अपनाए गए। ये समस्या किसी एक विभाग या एक जिले की नहीं थी, जैसा की पूर्व में भी उल्लेखित है, इससे बचाव हेतु भारत में 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया और इसके बाद 25 मार्च से 21 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया।

लॉकडाउन भारत के इतिहास का पहला ऐसा अध्याय रहा जिसने पूरे देश को बंद करके रख दिया और लोगों को घर में कैद कर दिया। इसके बावजूद भी संक्रमण फैलने से नहीं रोका जा सका। इस महामारी की समस्या से निपटने के लिए पुलिस को प्रथम पंक्ति में रखा गया जहाँ उसे अपने इस महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वहन हेतु अन्य विभागों जैसे प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर–निगम, नगर–पालिका, वन–विभाग, बैंक, मेडिकल स्टोर्स, बिजली विभाग, खाद्य विभाग, आबकारी विभाग आदि से समन्वय भी करना था।

लॉकडाउन के अतिरिक्त अन्य बहुत से कदम ऐसे भी उठायें गए जो इस संकट से बचाव के लिए "मील का पत्थर"साबित हुये है, जैसे- संक्रमण से संबंधित जानकारी का प्रचार, आवश्यक वस्तुओं का वितरण व्यवस्था, कोरोना हेल्पलाईन सेंटर, अफवाह की रोकथाम, सेनेटाइजर वितरण, काढ़ा वितरण एवं इसकी जानकारी, मेडिकल स्टोर्स का खुला होना, प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था, क्वारंटाईन सेंटर, आरोग्य सेतु एप, कंटेनमेंट एरिया बनाना, शहर एवं ग्रामों में साफ सफाई की व्यवस्था, इम्युनिटी क्षमता हेतु गोली का वितरण, पेट्रोलिंग, चैकिंग,टेस्टिंग एवं अन्य और भी अनेक।

इस महामारी से बचाव के लिए सबसे पहले हमें इसके संबंध में जानकारी का होना अत्यावश्यक था, क्योंकि यह समस्या जनसामान्य में अचानक और बहुत तेजी से फैलने वाली थ। कोरोना क्या है? कैसे फैलता है? क्या लक्षण है? और यह कैसे रोका जा सकता है? इसकी जानकारी का प्रचार पुलिस और प्रशासन ने शहर की हर गली में हर मोहल्ले में लाउडस्पीकर के माध्यम से एनाउंसमेंट कर किया। जनसामान्य में व्याप्त दहशत को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी इसी माध्यम से हुआ।

कोविड-19 की समस्या से बचाव हेतु जिलों में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गये। प्रदेश के कुछ जिलों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य का विवरण इस प्रकार से है-

1. छतरपुर –

1. 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाने से इसका पालन सुनिश्चित कराया गया। जो अत्यंत प्रभावी रहा।
2. जिले के प्रवासी मजदूरों की अन्य राज्यों से वापसी होने पर उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटाइन सेंटर्स पर रखने की व्यवस्था की गई जहां उनके भोजन का प्रबंध भी किया गया।इन मजदूरों को अपने घरतक पहुंचाने के लिए वाहन व्यवस्थ भी पुलिस के माध्यम से सुचारू रूप से की गई।
3. छतरपुर जिले को 11 सेक्टर्स में विभाजित कर प्रत्येक सेक्टर के लिए एक मेडिकल टीम के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई। जो सतत् सक्रीय रही।
4. पीपीई किट, सेनिटाईजर की उपलब्धता एवं इनकी जानकारी डीएसबी के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजी गई।
5. रात्रि गश्त में संदिग्धों की थर्मल स्क्रीनिंग कर आइसोलेशन सेंटर में रखा गया।
6. जिले में कुल 15 फिक्स पॉइंट एवं 10 मोबाइल पार्टी थी।
7. जिलाधीश महोदय के आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी 188 की कार्यवाही की गई।
8. नगर पंचायत के साथ मिलकर ऐसी दुकानों पर कार्यवाही की गई जो तय समय सीमा के पूर्व एवं पश्चात दुकानें खोलते थे या वस्तुओं का मूल्य अधिक वसूल रहे थे।

2.मुरैना

1. हाथ जोड़कर घर में रहकर लॉकडाउन के पालन की अपील जनता से की गई।
2. पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन्स से अपील की गई कि किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलने दें।
3. सेनिटाईजर एवं मास्क का वितरण मुफ्त में किया गया।
4. प्रवासी मजदूरों के लिए प्रथक से क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाया गया।

3. जबलपुर-

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आईपीसी 188 आदि के उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही
2. जनता की जागरूकता हेतु कोरोना रथ चलाया गया
3. बचाव, उपचार हेतु प्रचार-प्रसार के साधनों जैसे- लाउड स्पीकर, पेंफ्लेट्स, बैनर आदि बनाकर लोगों को समझाइश दी गई।
4. राहगीरों को अपने घरों तक जाने की व्यवस्था राजस्व विभाग के साथ की गई।
5. पीपीई किट पहनकर एवं मास्क लगाकर ड्यूटी की गई।
6. कोविड-19 संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु टोल फ्री नंबर 75876 32660 जारी किया गया।

4. बड़वानी-

1. महाराष्ट्र की सीमा पर दक्षिणी राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोकना
2. इन मजदूरों के भोजन एवं स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका
3. महाराष्ट्र पुलिस से समन्वय कर समस्या समाधान करना
4. परिवहन विभाग के साथ समन्वय कर मजदूरों को 450 से अधिक बसों द्वारा कुल 3558 राउंड कर घर भिजवाना।
5. अवैध रूप से अधिक संख्या में वाहनों में बैठा कर छुपकर राज्य की सीमा पार करवाने वालों पर सख्त कार्यवाही करना।
6. बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं बीमारों के लिए विशेष पास की सुविधा करना।
7. बीमारों दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तुरंत अस्पतालों तक पहुँचाने की व्यवस्था।

5. पन्ना-

1. गरीबों को भोजन सामग्री एवं भोजन पैकेट दिए गए।
2. प्रवासी मजदूरों को आवश्यक सामग्री जैसे भोजन पानी मास्क सैनिटाइजर दिया
3. बुजुर्गों को सब्जी दवाइयां लाने में सहयोग।
4. जिले की चार मुख्य बॉर्डर सीमा पर फिक्स पॉइंट लगाएं
5. बाजारों की व्यवस्था भी पुलिस ने करवाई
6. कंटेनमेंट एरिया में 12-12 घंटे की कठिन ड्यूटी की।
7. अवैध शराब के आवागमन पर रोक लगाई

6. ग्वालियर –

1. कंटेनमेंट जोन, नाकों पर 8-8 घण्टे की डियूटी।
2. बैंके, शराब दुकानों पर व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना।
3. जिले की सीमा पर निगरानी हेतु चैक पोस्ट बना कर लोगों को जिले में बिना थर्मल चैकिंग के आने से रोकना।
4. बिना मास्क लगाए घूमते लोगों पर जुर्माना करना।
5. पैदल मार्च निकाल कर जागरूकता का प्रयास इसके साथ ही सड़कों पर हिदायतों को लिखकर प्रचारित करना।
6. पैदल मार्च निकाल कर जागरूकता का प्रयास इसके साथ ही सड़कों पर हिदायतों को लिखकर प्रचारित करना। ताकि लोग घरों में सुरक्षित रहें।
7. हेल्पलाईन नम्बर 7049110100 जारी किया गया।

7.भोपाल –

1. स्मार्ट सिटी ऑफिस को वार्ड रूम बनाया गया।
2. नागरिक सुरक्षा व्यवस्था एवं निगरानी व्यवस्था लगाई गई जैसे ड्रोन एवं सीसीटीवी कैमरा।
3. रोको टोको अभियान चलाया गया।
4. भोजन एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था।
5. जिले की सीमा सील की तथा मुख्य मार्गों पर फिक्स पॉइंट एवं नाका ड्यूटी।

8. उज्जैन –

1. प्रदेश की कोरोना से पहली मृत्यु उज्जैन में होने से जनता में व्याप्त डर को दूर करने हेतु पैदल गश्त।
2. जिले के 10 शहर एवं 15 ग्रामों में कुल 25 चेक पोस्ट लगाए गए।
3. फिक्स पिकेट्स मोबाइल पार्टियों के माध्यम से निगरानी।
4. पुलिस का जनता, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, प्रशासन, नगर पालिका, एमपीईबी आदि से समन्वय स्थापित करना
5. चौराहों पर स्लोगन लिखना पी ए सिस्टम से जनता को सावधान करना।
6. आइसोलेशन वार्ड बनाकर स्वयं पुलिस का उस में रहना और अपने घरवालों को संक्रमण से बचाना।
7. स्वयं पुलिस ने मास्क की सिलाई कर तैयार मास्क को जनता में फ्री में बांटा।
8. स्पेशल पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करना।
9. चेकिंग मोबाइल के साथ-साथ स्पेशल कोरोना स्क्वॉड बनाई गई। जो पीपीई किट पहनकर मोटरसाइकिलों से गश्त व निगरानी करती थी।
10. एफ आई आर आपके द्वार।
11. ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी कर्मचारियों हेतु चलित कैफेटेरिया।
12. आरोग्य सेतु एप का उपयोग करना एवं करवाना।
13. ग्राम एवं नगर रक्षा समितियों के माध्यम से घर-घर तक पुलिस की पहुंच को सुनिश्चित किया गया।
14. शराब की बिक्री पर रोक।

अध्याय-७ पुलिस की समग्र भूमिका

खरगौन में सामाजिक सरोकार का उदाहरण पेश किया पुलिस द्वारा जबलपुर में पीपीई किट पहन कर ड्यूटी करती पुलिस

पुलिस शब्द सुनकर हर व्यक्ति के मन में एक अजीब सी घबराहट तो जरूर होती है परंतु जब भी कोई विपत्ति आती है सबसे पहले पुलिस को ही याद किया जाता है। ऐसा ही कुछ कोविड-19 के दौर में भी हुआ। लॉक डाउन का पालन करवाने से लेकर फ्रंट लाइन में ड्यूटी करने के लिए पुलिस को ही सभी लोगों ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। कोविड-19 के संक्रमण काल में पुलिस की भूमिका के सेवात्मक एवं नियंत्रणात्मक दो पहलू देखे गए।

सेवात्मक

वैश्विक परिवार की संकल्पना को साकार करते हुए पुलिस ने स्वयं के परिवार को भी सकल परिवार में ही शामिल कर लिया व सकल जनसमुदाय को अपना परिवार बना लिया। लोक कल्याण में बिना डर के फ्रंट लाइन में काम किया। लोकतांत्रिक पुलिसिंग का सबसे अच्छा दृश्य कोरोनावायरस के संक्रमण काल में देखने को मिला। इस समय पुलिस ने अपने कर्तव्यों का निर्वाहन पूर्ण योग्यता से आगे बढ़कर किया एवं ज्ञान-विज्ञान की सहायता से जहां स्वयं को सुरक्षित रखा वहीं इसका प्रचार प्रसार कर जन जागरूकता का कार्य भी किया।

सीसीटीवी एवं ड्रोन कैमरे की मदद से संदिग्ध लॉकडाउन तोड़ने वालों पर निगरानी भी रखी और उन्हें कोविड-19 के दुष्प्रभावों को समझाने में सफलता पाई।पुलिस ने अपने काम में एक नई संस्कृति का प्रयोग किया और सौम्य एवं लोकोपयोगी नए शब्दों को भी अपनाया। पुलिस खुद को सुरक्षित रख सके और जन सेवा करती रहे इसके लिए पुलिस के इतिहास में पहली बार वर्दी में ऊनी बैरेट कैप के स्थान पर अधिकृत रूप से कॉटन की स्पोर्ट कैप का प्रयोग हुआ। सामुदायिक पुलिसिंग चरितार्थ हुई।ग्राम एवं नगर रक्षा समिति के सदस्यों को जागरुक तो किया ही, उनके स्वास्थ्य की संपूर्ण व्यवस्था की। पुलिस ने अपने विभागीय कर्तव्य से ऊपर उठकर भी कई ऐसे कार्य किए जिससे इसकी भूमिका में बड़ा बदलाव आया और पुलिस के प्रति जनता के बीच अपनत्व एवं विश्वास में अत्यधिक वृद्धि हुई। जैसे पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों ने अपनेवेतन द्वारा गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की। कई 100 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने वाले मजदूरों के बच्चों के पैदल चलते-चलते उनकी चप्पलें टूट गई थीं, पुलिस ने स्वयं के अंशदान से उन्हें अपने हाथों से चप्पलें पहनाईं।लॉकडाउन के दौरान बिना कारण घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करने के बजाय उन्हें फूल देकर हाथ जोड़कर घर में सुरक्षित रहने की अपील की। अकेले रहने वाले या अत्यधिक बुजुर्गों को सब्जी, दवाई आदि भी घर में पहुंचा कर सेवा की। अवसाद से बचाने के लिए बंद के दौरान लोगों का जन्मदिन पुलिस संबंधित के घरों तक गई, उन्हें मुस्कान बाँटी और लोगों को घरों में रहने की समझाइश दी। पुलिस ने निशुल्क मास्क एवं सेनेटाईजर का वितरण भी किया। जिले के दूरदराज के गांवों में घर-घर जाकर खाद्य सामग्री का वितरण किया। पुलिस की इस भूमिका का आम जनता में बेहद सकारात्मक प्रभाव रहा, जो लोग अपने पूरे जीवन में पुलिस को नकारात्मक दृष्टि से देखते रहे वे भी पुलिस के इस सेवात्मक कार्य को देखकर पुलिस की प्रशंसा करते हुए पाए गए। संकट की इस घड़ी में पुलिस का यह रूप दैविय स्वरूप की तरह लोगों ने जाना।

नियंत्रणात्मक भूमिका

कोरोना के प्रारम्भिक दिनों में जब सभी भ्रमित थे कि महामारी के इस दौर में उनकी नियंत्रणात्मक भूमिका क्या होगी तब पुलिस भी उससे अछूती नहीं थी। रविवार 22 मार्च को पूर्ण लॉक डाउन को जनता कर्फ्यु का नाम दिया गया था। कर्फ्यु का अर्थ पुलिस कार्यप्रणाली में अधिकांशतः लोगों को एक विशेष प्रकार के आपात् नियंत्रण के रूप में ज्ञात है। अतः यहां उल्लेखनीय है कि इस तब कुछ अवसर ऐसे भी आये जब पुलिस की अतिरिक्त सख्ती के प्रकरण भी देखने को मिले। इनमें लाठी लहराना, उठ्ठक-बैठक लगवाना, डांटना-डपटना, चालान बनाने में अतिरेक करना, उल्लंघन के तहत अपराध पंजीबद्ध करने में शीघ्रता करना,अत्यावश्यक आश्यक कार्य हेतु अनुमति प्राप्त लोगों को रोकना, किसी पुलिस कर्मचारी के निजी पूर्वाग्रह तथा और भी अनेक ऐसे मामले थे जो आपत्तीजनक कहे जा सकते थे। लेकिन ये सब प्रारम्भिक अवस्था में ही सामने आये। हालांकि उनके पीछे दुर्भावना की सम्भावना नहीं थी। मीडिया ने इस ओर जब ध्यान आकृष्ट किया तो वरिष्ठ स्तर पर तत्काल नियन्त्रण लगा लिया गया। इसके बावजूद भी यदि किसी इक्का-दुक्का कर्मचारी द्वारा कोई अविवेक पूर्ण कार्य किया गया तो उस पर कार्यवाही भी की गई। इस तरह जहां एक ओर पुलिस की सौम्य, मित्रवत् एवं सहयोगात्मक सेवा प्रधान छवि सार्वजनिक हो रही थी तो आंशिक रूप से नियंत्रणात्मक कठोरता भी सामने आ रही थी। इस हेतु अनेक मोटीवेशन सर्वे भी सामने आये जिनमें भी यह माना गया है कि कहीं-कहीं पुलिस की कठोरता से असहजता निर्मित हुई लेकिन वह नियंत्रण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ही थी।

चूंकी वर्तमान पीढ़ी के समक्ष यह एक नये प्रकार की आपदा का स्वरूप है। जिससे न तो पुलिस परिचित थी न ही आम जनता अतः अनेक नवाचार समय-समय पर आते गए। कुछ सौम्य थे तो कुछ कठोर भी थे। लेकिन कुल मिलाकर हम समग्र विश्लेषण करें तो एक नई पुलिस-मित्र संस्कृति का विकास हुआ और लोगों ने पुलिस के सम्मान में अपनी अभिव्यक्ति को सार्वजनिक किया। नियंत्रण की कठोरता को भी सहज स्वीकार किया गया। यदि हम अपवाद स्वरूप कुछ मामले छोड़ दें तो आम जनता ने पुलिस की सख्ती को भी न केवल आत्मसात किया। जिससे प्रेरणा पा कर पुलिस द्वारा जहां कठोरता का रास्ता अपनाया जा सकता था वहां भी उसने मित्रवत् एवं अपनत्व का व्यवहार कर अपनी छवि में निखार लाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा।

अध्याय-८ कोरोना वारियर्स और पुलिस का बलिदान

कोरोना काल मे पुलिस प्रथम पंक्ति मे खड़ी थी इस समय लोगो के मन मे भय का वातावरण था पुलिस के सामने सांप्रदायिक, कानून व्यवस्था, भोजन व्यस्था, चिकित्सा, कोरोना पीड़ितो को अलग रखना, जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस संभाल रही थी| पुलिस द्वारा इन कार्यो को अपना धर्म और कर्म मानते हुए 24 घंटे कार्य किया व इस महामारी को नियंत्रित किया|

कार्य संपादन का जोखिम

कोरोना ड्यूटी के दौरान पुलिस सबसे अधिक जोखिम में कार्यरत थी। स्वयं एवं परिवार को लेकर प्राकृतिक रूप से मानवीय भय पुलिस को भी था। फिर भी लगातार कोरोना से पीड़ित लोगो के संपर्क मे रहते हुए, कोरोना पीड़ित लोग घर से बाहर न निकलें अतः उनके घरों की बैरिकेटिंग कर रही थी|वहीं दूसरे प्रदेशों से आने वाले मजदूरो को उनके घर पहुचाने की व्यवस्था को अंजाम देना भी पुलिस के कंधे पर था | इसी बीच अपने कार्य को करते हुए पुलिस के कई वीर जवानो ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए| जो बलिदानों का एक नया पृष्ठ बन गए।

सेवा सर्वोपरि

भारत के संविधान व पुलिस रेगुलेशन में अंकित है की पुलिस ऐसी महामारियों में 24 घंटे, अपनी जान की परवाह किये बिना कार्य कर ऐसे संकट में लोगों की सहायता एवं सेवा करेगी। अत: मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अपने कार्यो को अंजाम देते हुए लोगो की सेवा की, और अपने घर-परिवार को छोड़कर लोगो की सेवा को सर्वोपरि माना, जो आज भी जारी है |

कोरोना काल में प्रथम पंक्ति में खड़े होकर पुलिसकर्मी लोगों की सुरक्षा करते हुए स्वयं कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए तथा देश व राज्य के लिए कोरोना से लड़ते-लड़ते शहीद हुए। विभाग ने इन योद्धायों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए शहीदों के परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ा। सभी के परिवारों से तत्काल अनुकम्पा नियुक्ति योग्य सदस्यों को मर्यादा के अनुरूप अनुकम्पा नियुक्ती प्रदान की तथा साथ ही जो लोग कोरोना में ड्यूटी करते हुये बीमार हुये उनके लिये पुलिस कर्मचारी स्वास्थ बीमा योजना के तहत बेहतर चिकित्सीय प्रबंध किये।

हम प्रणाम करते हैं हमारे उन शहीदों को-

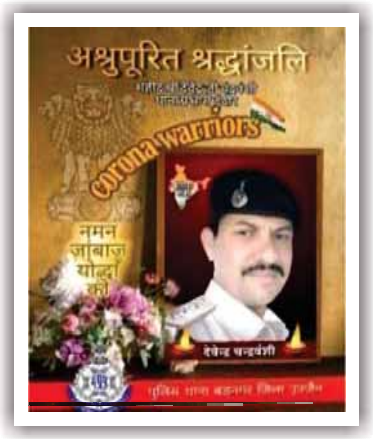

निरीक्षक देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी
जिला बल- इन्दौर
शहीद दिनांक- 19.04.2020
अस्पताल- अरविंदो हॉस्पिटल इन्दौर

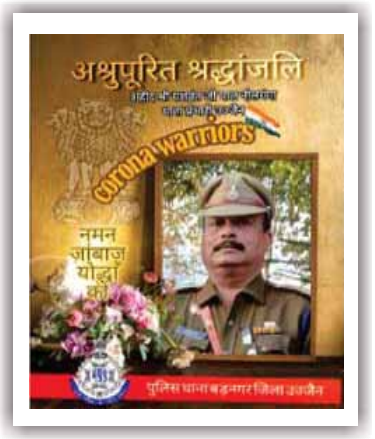

निरीक्षक यशवंत पाल
जिला बल- उज्जैन
शहीद दिनांक- 21.04.2020
अस्पताल- अरविंदो हॉस्पिटल इन्दौर

प्रधान आरक्षक बाबूलाल बघेल
जिला बल- बड़वानी
शहीद दिनांक- 12.07.2020
अस्पताल- जिला अस्पताल बड़वानी

सहायक उपनिरीक्षत्रक अंसार अहमद
जिला बल- भोपाल
शहीद दिनांक- 5.08.2020
अस्पताल- चिरायु अस्पताल भोपाल

आरक्षक शिवराज देवलिया
जिला बल- सागर
शहीद दिनांक- 28.08.2020
अस्पताल - वी.एम.सी सागर

आरक्षक राकेश सोलंकी
जिला बल- इंदौर
शहीद दिनांक- 04.09.2020
अस्पताल- सुयश अस्पताल इंदौर

आरक्षक घनश्याम वर्मा
जिला बल- सीहोर
शहीद दिनांक- 13.09.2020
अस्पताल- सीहोर आइसोलेशन सेंटर

आरक्षक राजकुमार शर्मा
विशेष सशस्त्र बल- मुरैना
शहीद दिनांक- 14.09.2020
अस्पताल- चिरायु अस्पताल भोपाल

सैनिक गणेश श्रीवास्तव
होमगार्ड जबलपुर
शहीद दिनांक- 21.09.2020
अस्पताल- नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

आरक्षक जितेन्द्र कौशल
जिला बल- भोपाल
शहीद दिनांक- 26.09.2020
अस्पताल- चिरायु अस्पताल भोपाल

प्रधान आरक्षक राजाराम द्विवेदी
जिला बल- रीवा
शहीद दिनांक- 29.09.2020
अस्पताल- संजय गांधी अस्पताल रीवा

प्र.आर. शिवाजी तिवारी
जिला बल- इंदौर
शहीद दिनांक- 30.09.2020
अस्पताल - अरविंदो अस्पताल इंदौर

उप पुलिस अधीक्षक प्रेम प्रकाश गौतम
जिला बल- भोपाल
शहीद दिनांक- 18.07.2020
अस्पताल- चिरायु अस्पताल भोपाल

सहायक उपनिरीक्षक अबू समन खान
जिला बल- सिंगरौली
शहीद दिनांक- 10.08.2020
अस्पताल- संजय गाँधी अस्पताल रीवा

आरक्षक विजय घोष
जिला बल- निवाड़ी
शहीद दिनांक- 30.08.2020
अस्पताल-झांसी मेडिकल कॉलेज

आरक्षक अरूण वाजेला
जिला बल- शाजापुर
शहीद दिनांक- 05.09.2020
अस्पताल- चिरायु अस्पताल भोपाल

प्रधान आरक्षक कादिर खान
जिला बल- खण्डवा
शहीद दिनांक- 14.09.2020
अस्पताल- जिला अस्पताल खण्डवा

आरक्षक चालक हरिवंश सिंह बघेल
वि.स. बल- रीवा
शहीद दिनांक- 15.09.2020
अस्पताल- संजय गांधी अस्पताल रीवा

आरक्षक राजेन्द्र निर्मलकर
जिला बल- छिंदवाडा
शहीद दिनांक- 24.09.2020
अस्पताल- होम आइसोलेश

उपनिरीक्षक कल्याण राय
रेडियो भोपाल
शहीद दिनांक- 29.09.2020
अस्पताल- जेके अस्पताल भोपाल

आरक्षक ध्रुव केवट
जिला बल- सीहोर
शहीद दिनांक- 29.09.2020
अस्पताल- एबीएम अस्पताल भोपाल

उप पुलिस अधीक्षक उत्कृष्ट त्रिपाठी
जिला बल- दमोह
शहीद दिनांक- 01.10.2020
अस्पताल- कालरा अस्पताल दिल्ली

उपनिरीक्षक. मुन्नालाल
वि.स बल- सागर
शहीद दिनांक- 10.10.2020
अस्पताल- वीम एम सी सागर

निरीक्षक. गोपाल सिंह जगेत
जिला बल- जबलपुर
शहीद दिनांक- 11.10.2020
अस्पताल-सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

प्रधान आरक्षक राजेन्द्र मिश्रा प्रधान
जिला बल- सागर
शहीद दिनांक- 29.10.2020
अस्पताल- श्री अस्पताल सागर

आरक्षक देवनारायण सिंह बघेल
विशेष सशस्त्र बल- भोपाल
शहीद दिनांक- 31.10.2020
अस्पताल- चिरायु अस्पताल भोपाल

आरक्षक जहान सिंह
विसबल- ग्वालियर
शहीद दिनांक- 26.11.2020
अस्पताल- एम्स अस्पताल भोपाल

सहायक उपनिरीक्षक भरत कुमार पाण्डेय
जिला बल- सागर
शहीद दिनांक -28.11.2020
अस्पताल का नाम-बी एमसी सागर

सहायक उपनिरीक्षक बहादुर सिंह यादव
जिला बल- विदिशा
शहीद दिनांक- 30.11.2020
अस्पताल- चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल

सैनिक महेश शुक्ला
होमगार्ड निवाड़ी
शहीद दिनांक- 02.12.2020
अस्पताल-जिला चिकित्सालय टीकमगढ़

उपनिरीक्षक ब्रजेश कुमार शर्मा
जिला बल- सीहोर
शहीद दिनांक- 07.11.2020
अस्पताल- मेडिकल कॉलेज इन्दौर

निरीक्षक. आर.सी गौड़
जिला बल- मंदसौर
शहीद दिनांक- 03.01.2021
अस्पताल- अरविंदो अस्पताल इंदौर

प्र.आर.घनश्याम साहू
जिला बल- बालाघाट
शहीद दिनांक- 25.01.2021
अस्पताल- गोंदिया अस्पताल महाराष्ट्र

शहीद श्री यशवंत पाल

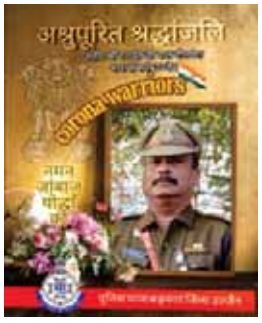

जहाँ एक ओर कोरोना महामारी में लोग लॉकडाउन के पालन में घरों में रह रहे थे वहीं दूसरी ओर पुलिसलॉकडाउन का पालन कराने में व्यस्त थी। चूंकि म.प्र. पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा405 में स्पष्ट लिखा गया है कि महामारीके दौरान पुलिस 24/7 कार्य करते हुए महामारी नियंत्रण के लिए जी जान से कार्य करेगी।

उज्जैन जिले के नीलगंगा थाने में प्रभारी के रूप में निरीक्षक श्री यशवंत पाल कार्यरत थे जो कि कोरोना कंटेनमेंट जोन, CAA के विरोध में हो रहे धरने में लगातार ड्यूटी कर रहे थे। इस क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे थे।इसी बीच 1982 –83 सब इंस्पेक्टर बैच के अधिकारी निरीक्षक श्री यशवंत पाल की अचानक तबीयत खराब हुयी व उनकी कोरोना रिपोर्ट 6 अप्रैल 2020 को पॉजिटिव प्राप्त हुयी। अतः स्वास्थ्य अधिक खराब होने के कारण उन्हें इन्दौर के अरविंदो मेडीकल कॉलेज में भर्ती किया गया। उन्हें सांस लेने में लगातार तकलीफ हो रही थी इस कारण उन्हें दो दिन वेंटीलेटर पर रखा गया किन्तु उन्हें बचाया नहीं जा सका। मंगलवार दिनांक 24.04.2020 को सुबह 5.10 बजे टीआई श्री यशवंत पाल ने अंतिम सांस ली ।इस क्षति से उनके परिवार व पुलिस महकमे में शोक की लहर फैल गयी इस तरह से म.प्र. पुलिस ने एक कर्तव्यनिष्ठ ऑफीसर को खो दिया।

म.प्र. सरकार द्वारा तुरंत मदद के हाथों को आगे बढ़ाते हुए परिवार की मदद की। उनके परिवार में उनकी पत्नि जो कि सरदापुर तहसीलदार हैं व उनकी दो बेटियाँ हैं। दिवंगत टीआई श्री यशवंत पाल की बड़ी बेटी फाल्गुनी पाल को शासन ने उप निरीक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जो अभी वर्तमान में म.प्र. पुलिस अकादमी, भौंरी भोपाल में प्रशिक्षणरत है।

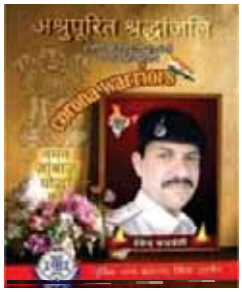

शहीद श्री देवेन्द्र चंद्रवंशी

शाजापुर मध्यप्रदेश के निवासी 45 वर्ष के निरीक्षक देवेन्द्र चन्द्रवंशी इंदौर शहर के जूनी इंदौर थाने के थाना प्रभारी थे। वे सन् 2007 बैच के उप निरीक्षक थे। पदोन्नत होकर वे निरीक्षक बने थे। अपनी ड्यूटी करते समय वे कोरोना की चपेट में आ गये। कोरोना पॉजेटिव होने के बाद उनका उपचार अरविंदो अस्पताल इंदौर में चला। वे कोरोना से संक्रमित होने वाले पहले पुलिस अधिकारी थे। वे 19 दिन अस्पताल में रहे और दुर्भाग्यवश कोरोना की जंग में लड़ते हुए 19 अप्रैल को वे शहीद हो गए। पुलिस विभाग ने शहीद देवेन्द्र चंद्रवंशी की पत्नी श्रीमती सुषमा चंद्रवंशी को पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ किया है।

अध्याय-९ बदलाव की बयार

पुलिस संस्कृति / उपसंस्कृति में बदलाव – कोरोना कालके दौरान मध्यप्रदेश पुलिस में महत्वपूर्ण बदलाव सामने आये। जिसमें पुलिस उपसंस्कृति में बदलाव महत्वपूर्ण थे

पुलिसवर्दी – सम्पूर्ण म.प्र. में पुलिस द्वारा पहने जाने वाली वर्दी में बदलाव देखने के जिले पुलिस का ताज कही जाने वाली कैप (बैरट) को शासन के आदेश से प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि बैरट कैप धुलने योग्य नहीं होती है इसे सेनिटाईज भी नहीं किया जा सकता अतः इसे प्रतिबंधित किया गया जो कि पुलिस के इतिहास में पहली बार हुआ।

इसके अलावा म.प्र. पुलिस के संचार , कम्यूनिकेशन , व्यवहार , आचरण में सुधार को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पुलिस के मानवीय मूल्यों , सहायता करने के चेहरे को आजदेखा जा सकता है।

पुलिस की नई छवि

P – पुलिस POWER सेPRO-ACTIVE हुई, पुलिस को लोग शक्ति का केंद्र विन्दु मानते रहे हैं परन्तु कोरोना काल मे पुलिस की कार्यप्रणाली से प्रभावित हुए।

O – ORDER से OBEDIENT, पुलिस को सभी ने देखा कि पुलिस ने लोगो के सामने हाथ जोड़कर लॉक डाउन का पालन करवाया व असहायों की मदद की |

L -LINE से LIBERAL हुई, पुलिस ने अपनी जान की परवाह किये बिना लोगो की सहायता की। पुलिस का उदार स्वरुप लोगो के देखा |

I – INCOME से INTELLIGENT, पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं कि वह निजी आय को अधिक महत्व देती है। परन्तु कोरोना काल मे पुलिस ने लोगो की आर्थिक, सामाजिक, जीने की वस्तुओ सहित तमाम आवश्यकताओं का प्रबंधन अपना अंशदान देकर किया |

C – CORRUPT से COURAGE, कोरोना से बिना डरे जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया

E – ENCOUNTER से EFFICIENT, कोरोना काल में पुलिस ने अपनी उच्च आदर्श व कठोर कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन करते हुए लोगों को अपना वास्तविक रूप दिखाया, जिससे लोगों का पुलिस के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है |

पुलिस का नया स्वरुप-

कोरोना काल में पुलिस की कार्यप्रणाली ने लोगों के मन एक नयी तस्वीर बना ली है अब पुलिस की छवि आमजन की नजरों में 5C से है। 5C अर्थात्-

समन्वय (Co ordination)
नियंत्रण (Commanding / Controlling)
साहस (Courage)
आत्मविश्वास (Confidence)
सम्प्रेषण (Communication)

समाजोन्मुखी पुलिस–

हमेशा से ही पुलिस के द्वारा किये गये कार्य वव्यवहार को लोग नकारात्मक रूप में ही देखते थे। पुलिस बल पर हमेशा मौलिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों के आरोप लगते हैं।परन्तु वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने व लोगों की मरते दम तक सहायता से लोगों के ह्दय में पुलिस ने अपना नया स्थान व तस्वीर बनाई है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 –

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।कोरोना काल में म.प्र. पुलिस द्वारा लोगों का जीवन बचाने के लिए घर – घर जाकर मूलभूत सामग्री को पहुँचाया गया और लोगों का जीवन सुरक्षित किया। अब तक हमने संविधान का अनुच्छेद 21 केवल किताबो में पढ़ा था, लेकिन कोरोना काल मे पुलिस ने इस अनुच्छेद को धरातल पर उतारकर दिखाया। लोगो को घर-घर जाकर भोजन, दवाइया व आवश्यक सामग्री पहुंचाकर असहायों की मदद करते हुए सभी को सामान दृष्टि से देखा |

संविधान के मौलिक अधिकार	प्रभावी मानव अधिकार
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थय एवं स्वास्थय की सावधानी का अधिकार वैसा ही है जैसा जीवन का अधिकार होता है।	भोजन
	स्वास्थय
	शिक्षा
	आत्मसम्मान
	न्याय
	समानता
	विधि की शासन
	विवाह

कोरोना के समय व अभी भी पुलिस द्वारा ऊपर दिये गये मानव अधिकारों की रक्षा Rule Of Lawके तहत कर रही है। पुलिस द्वारा यह भरकस प्रयास किया जा रहा है कि सभी मानव अधिकारों को संरक्षित करते हुए, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने हेतु लोगों के समस्त मानवीय अधिकारों की रक्षा करते हुए कार्य करे।

पुलिस का अन्य विभागों व संगठनों से समन्वय तथा एकजुटता –

जैसे ही म.प्र. में कोरोना वायरस ने अपनी आमद दर्ज कराई वैसे ही पुलिस को अपने कार्यों के साथ–साथ वायरस को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी मिल गयी और वह फ्रंट लाईन पर खड़ी होकर इस वायरस से निपटने के लिए शासन की गाईड लाईन का पालन करते हुए अपना कार्य बड़ी सजगता व सुरक्षा से कर रही है।

इस महामारी में पुलिस से जनता की अपेक्षायें बहुत अधिक है। अतः पुलिस द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, संगठनों NGO'S से समन्वय को बढ़ाकर अपने कार्यों के साथ–साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है । यदि हम एनजीओ की सक्रियता देखें तो पायेंगे कि जिला बड़वानी में बीजासन माता मंदिर समिति द्वारा तीस क्विंटल राशन प्रतिदिन बांटा गया। इसके अलावा सेवा भारती, वैश्य समाज मंडल, बीकलदेव सेवा समिति के द्वारा भी राशन वितरित करने की सुविधा प्रदान की गई।

इस प्रकार अनेक विभागों एवं संस्थाओं ने बढ़-चढ़ कर सहयोग प्रदान किया उसमें प्रमुख रूप सेहेल्थ डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास, जनसंपर्क विभाग, खाद्य विभाग, विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, फूड सप्लाई करने वाली एजेन्सी,रिचार्ज एजेंसीस, NGO'S, सामाजिक कार्यकर्त्ता, जरूरत के सामान सप्लाई करने वाली एजेन्सीस, लोक निर्माण विभाग आदि प्रमुख हैं।इस तरह से पुलिस द्वारा उक्त एजेन्सियों के सहयोग से इस महामारी काल में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है।

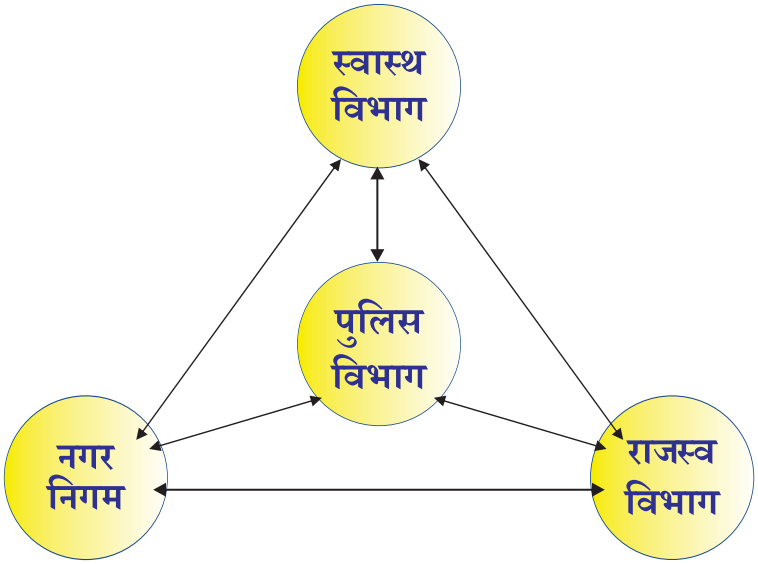

पुलिस प्रशासन ने चौराहों पर स्लोगन बनाकर लोगों को जागरूक किया

भास्कर संवाददाता| माकड़ौन

नगर के विभिन्न चौराहों पर पुलिस कोरोना से बचाव के स्लोगन लिखकर नागरिकों को जागरूक कर रही है। डीएसपी यशस्वी शिंदे ने बताया है कि नगर के बस स्टैंड चौराहा, डेलची रोड पेट्रोल पंप चौराहा, बायपास चौराहा, मंडीगेट चौराहा आदि जगह पर कोई भी रोड पर ना निकले, हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया, सामाजिक दूरी का पालन करें, साबुन से कई बार हाथ धोए इस प्रकार के स्लोगन लिखकर जन जागृति लाने का कार्य किया जा रहा हैं।

'#कोरोना_हेलमेट' पहन कर #ग्वालियर_पुलिस #कोरोना_वायरस के प्रति लोगों को कर रही है जागरूक

#Gwalior #GwaliorCity #Corona #CoronaVirus #Covid19 #StayHome #FightAgainstCorona #NavneetBhasinIps #GwaliorSP #Gwalior_Police #ipsofficers

जन जागरुकता–

कोरोना वैश्विक महामारी में पुलिस और आम लोगों के बीच विश्वास बढ़ा है। इस विश्वास का परिणाम है कि पुलिस द्वारा जो भी जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं लोग उन्हें स्वीकार कर रहे हैं| पुलिस द्वारा आमलोगों का सहयोग लेकर विभिन्न जागरूकता, शिक्षाप्रद कार्यक्रम एवं जनसहयोग का लगातार आयोजन किया जा रहा है। अब लोग बिना झिझक पुलिस से अपनी समस्यायें,जानकारी साझा कर रहे हैं । उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जबलपुर में कोरोना रथ के माध्ययम से पुलिस द्वारा लोगों को जागरुक किया गया। जिसका सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ। साथ ही हम भोपाल का उदाहरण देखें तो यहां पर सामुदायिक रसोई का कार्य पुलिस द्वारा समुदाय की सहायता से कराया गया जिससे एक बड़ा समुदाय पुलिस से जुड़ा व उनके सम्बंध पुलिस से प्रगाड़ हुए। भविष्य में यह समुदाय भी जागरुक होकर अनेक अवसरों पर पुलिस के विश्वसनीय साथी के रूप में उपलब्ध होगा।

कार्यक्षेत्र की व्यापकता–

पुलिस अपने विभागीय कार्य , अन्वेषण, लॉ एण्ड ऑर्डर, शांति व्यवस्था, निरोधात्मक कार्यवाही के साथ–साथ कोरोना जागरूकता कार्यक्रम, पुलिस रसोई, चलित कैण्टीन, पुलिस रैनबसेरा, पुलिस कैफेटेरिया, पुलिस सोशल मीडिया ग्रुप, पुलिस जनसंपर्क विंग, मीडिया प्रबंधन आदि कार्य भी किये जो पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक प्रबंधित व जनोन्मुख बनाती है।

स्वास्थ्य के प्रति सचेत-

कोरोना महामारी में समस्त पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुए हैं। अपने साथ गर्म पानी की बोतल, पौष्टिक आहार, मास्क लेकर चलते हैं। वे अपने हेल्थ चेकअप के प्रति जागरूक हुए हैं। खान-पान के प्रति जागरूकता आई है। उन्हें स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना है? पता है।

पुलिस जनता संबंध-

पुलिस और जनता के जो संबंध इस कोरोना महामारी के दौरान बने हैं वे अकल्पनीय है। लोगों की समझ में आ गया है कि पुलिस हमारी हितैषी है। कभी भी जब किसी मनुष्य के सामने समस्त रास्ते बंद हो जाते हैं तो पुलिस ही उनकी सहायता हेतु 24 घंटे खड़ी हुई है।पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास का जो रिश्ता बना है वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भविष्य मे इस समय के घनिष्ठ संबंध निश्चित ही मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए वरदान साबित होंगे।

ऑनलाइन चालान पेश –

कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन चालान पेश करने का नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे पुलिस द्वारा स्वीकार किया गया| न्यायालय को चालान ऑनलाइन पेश किये गए, जिनके आधार पर न्यायालय में चल रहे प्रकरणों की सुनवाई जारी रही और आज भी जारी है|

रासेयो के सदस्य लॉकडाउन का पालन करवाने में दे रहे प्रशासन का सहयोग

ग्लोबल पुलिसिंग-

मध्य प्रदेश पुलिस के साथ-साथ संपूर्ण भारत की पुलिस के साथ मध्यप्रदेश पुलिस का समन्वय हुआ। लॉकडाउन में फंसे लोगों को एक दूसरे के सहयोग से निकालकर सुरक्षित उनके घरो तकपहुंचाया गया। यह समन्वय आज भी अपराधों के नियंत्रण में काम आ रहा है।इस समय ने संपूर्ण भारत की पुलिस को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। उदाहरण स्वरूप हम देखें तो अंतरराज्यीय सीमा से लगे जिला सागर एवं छतरपुर द्वारा उत्तरप्रदेश से, बड़वानी का महाराष्ट्र से, मुरैना का राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश से तथा अलीराजपुर जिले की पुलिस का गुजरात एवं महाराष्ट्र से समन्वय रहा जिसकी वजह से प्रवासी मजदूरों एवं कोविड-19 पॉजेटिव केस की जानकारी तथा समस्याओं के निराकरण में सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए कार्य में सुगमता का संचार देखा गया।

तकनीकी ज्ञान का उपयोग-

कोरोना के समय में पुलिसिंग में नई-नई तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया। इन तकनीकों में आरोग्य सेतु एप, सीसीटीवी, ड्रोन कैमरा, पी एस सिस्टम, वायरलेस सिस्टम आदि प्रमुख रहे। इन तकनीकों का अब प्रत्येक पुलिस अधिकारी बड़ी आसानी से उपयोग कर रहे हैं और अपराधों पर नियंत्रण कर रहे हैं। उज्जैन जिले का आंकड़ा देखें तो हम पायेंगे कि यहां पर कोरोना काल में 8 ड्रोन कैमरों, 575 सीसीटीवी कैमरों, 173 पीए सिस्टम का उपयोग किया गया।

लोकतांत्रिक पुलिसिंग एवं सामाजिक न्याय –

इनविकट परिस्थितियों में मध्य प्रदेश पुलिस ने जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठकर सभी लोगों को समान निगाह से देखते हुए मदद कार्य पहुंचाया है जिसने पुलिस के सकारात्मक चेहरे को और अधिक निखारा है व पुलिस की छवि उन्नत हुई है।

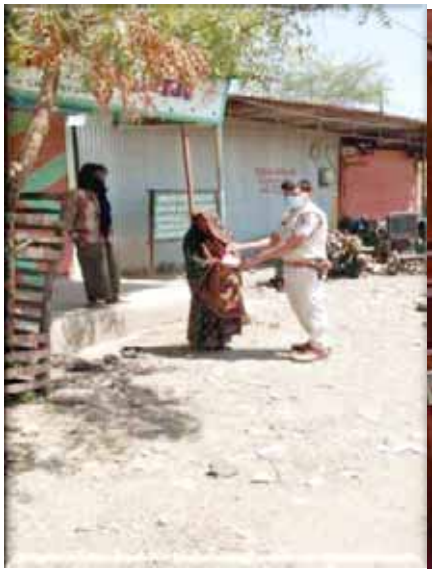

समाजोन्मुखी सामुदायिक पुलिस का नया प्रारूप-

कोरोना के भीषण संकट के बीच पुलिस के सामने यह चुनौती रही कि किस तरह कोरोना पीड़ित लोगों से सामान्य लोगों को अलग रखा जाये तथा किस प्रकार ग्रामों में कोरोना से पीड़ित लोगों को न आने दिया जाये।अगर बाहर से ग्रामों, शहरों में लोग आ रहे हैं तो उन्हें कैसे अलग रखा। इस मामले में उज्जैन जिले में 773 ग्राम रक्षा समिति के सदस्य एवं 97 ग्राम चौकीदारों द्वारा लगातार पुलिस का सहयोग किया गया। जो अपने आप में रेखांकित बिंदु है।

इन सभी चुनौतियों को सामना करने के लिए म.प्र. पुलिस द्वारा ग्राम रक्षा समिति व शहरी रक्षा समितियों को सक्रिय किया इनके सदस्यों ने सक्रिय होकर ग्रामों में शहरों में कोरोना से पीड़ित लोगों को अलग रखने में मदद की। स्वय निगरानी कर बाहरी लोगों को चिन्हित किया और उन्हें निश्चित समय के लिए कोरिन्टाईन कराया। उन्हें उपचार व भोजन पहुँचाने में मदद की, कोरोना से पीड़ित लोगों को बाहर न निकलना सुनिश्चित किया। इस तरह से ग्राम व शहर रक्षा समितियों का एक नया चेहरा म.प्र. में देखने को मिला।

पुलिस प्रशिक्षण में बदलाव –

कोरोना महामारी के दौर में म.प्र. पुलिस के समस्त प्रशिक्षण केन्द्र भी प्रभावित हुए। शासन की गाईडलाइन का पालन करने व सभी प्रशिक्षुओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें उनकी पदस्थापना के जिले में वापिस कर दिया गया। किन्तु म.प्र. पुलिस अकादमी भौंरी, भोपाल द्वारा अपने प्रशिक्षु अधिकारियों को पदस्थापना जिला भेजकर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया|ऑनलाइन कक्षायें सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को दी गयीं। इसके बाद कुछ समय पश्चात् ही प्रशिक्षु अधिकारियों को अकादमी वापस बुलाकर, कोरोना गाईडलाइन का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही अनुसचिवालयीन सहायक उपनिरीक्षकों, सूबेदार, स्टेनों आदि को भी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण की खासियत यह रही की वित्तिय रूप से यह बेहद किफ़ायती रहा, जिससे शासन की बहुत बड़ी राशि की बचत हुई। यह प्रयास सफल रहा और इस तरह से म.प्र. पुलिस अकादमी, भौरी भोपाल भारत की प्रथम अकादमी बनी जहाँ पर कोरोना के चरम समय पर प्रशिक्षण दिया गया व अपना नाम पुलिस इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। मध्य प्रदेश की समस्त अकादमी फिर से सोचने के लिए मजबूर हुई है कि प्रशिक्षण में कोरोना जैसे संकट से निपटने के लिए क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं|

अध्याय-१० सतत चुनौतियां व पुलिसिंग की नई राह

कोरोना एक अचानक आई विपदा है, जिसके बारे में न तो कोई जानकारी थी और न ही सुरक्षा हेतु गाइडलाइन| जिससे पुलिस के साथ सभी लोग असमंजस में थे व भयभीत भी थे | समय के साथ WHO और शासन- प्रशासन के दिशा-निर्देश प्रतिदिन बदल रहे थे, अतः पुलिस के समक्ष पल-पल नई चुनौतियां जैसे-लॉक डाउन का पालन करवाना, -लोगो की लगातार मदद करना, अपने उदार व्यवहार को बनाये रखना, मानव अधिकारों का सम्मान करना व जनोन्मुखी छवि को बनाए रखना महत्वपूर्ण था।

पुलिसिंग की नयी राह-

कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के बाद पुलिस की राह आगे आसान नहीं है। कोरोना समय में जो संजीदगी, नैतिकता एवं आचरण पुलिस द्वारा दिखाया गया है उसे लगातार आम जनता में बनाये रखना एक चुनौती पूर्ण कार्य है ।

महामारी से निपटने की हरदम तैयारी-

स्वतंत्र भारत ने इस तरह की महामारी का सामना कभी नहीं किया। जब देश में कोरोना ने दस्तक दी, उस समय इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। परंतु जिस गति से इस वायरस ने अपने पैर पसारे उसको देखकर सम्पूर्ण प्रदेश आश्चर्यचकित हो गया। जैसे हीम.प्र. में पहला मामला जबलपुर आया वैसे ही म.प्र. पुलिस सचेत हो गयी इस महामारी से लड़ते–लड़ते पुलिस का एक सिस्टम बना जो कि कोरोना से निपटने में कारगर रहा। यह बना हुआ सिस्टम भविष्य में भी म.प्र. पुलिस में रहेगा व भविष्य में आने वाली ऐसी चुनौतियों से आसानी से निपटेगा |

सूचना तकनीक का प्रयोग –

लोगों को जागरूक करने, समय–समय पर शासन की गाईडलाइन को पालन करवाने के लिए सूचना तकनीक, प्रेस,और सोशल मीडियाका महत्वपूर्ण रोल रहा, क्योंकि शासन की गाईडलाइन जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रही है। इस गाईड लाइन को पुलिस द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना एक चुनौती था, अतः पुलिस द्वारा प्रेस, संचार साधन, सोशल मीडिया व इंटरनेट का उपयोग करके तुरंत लोगों तक अद्यतन जानकारियाँ पहुँचायी गई। जानकारी मिलने के पश्चात् आम लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया व गाईडलाइन के अनुसार अपने कार्यों को करना प्रारंभ किया।

कम्यूनिटी पुलिसिंग को भविष्य की नयी जिम्मेदारी मिलना –

इस महामारी के दौरान पुलिस का प्रत्येक ग्राम, मोहल्ला, गली तक पहुँचना वगश्त करना बहुत मुश्किल काम था। ऐसे समय में ग्राम/शहर रक्षा समिति को सम्मिलित किया गया। समितियों के सदस्यों ने बड़ी ही मेहनत, लगन से प्रत्येक ग्राम, शहर, गलियों में लॉकडाउन का पालन करवाया लोगों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं को उपलब्ध कराया व लोगों की सहायता 24×7 की ।

इस प्रकार सम्पूर्ण म.प्र. में कम्युनिटी पुलिसिंग का विस्तार हुआ व उन्हें प्रदेश में नयी दिशा व दशा मिली जो भविष्य में भी रहेगी ।

पुलिस अधिकारी / कर्मचारियों में नये भावों का जाग्रत होना –

इन विकट परिस्थितियों में पुलिस द्वारा जिस तरह से लोगों की सहायता की है चाहे वह आवागमन, भोजन, दवाईयों आदि की व्यवस्था हो लोगों को संवेदनशील पुलिसिंग देखने को मिली पुलिस का नया चेहरा लोगों ने देखा जो कि भविष्य में म.प्र. पुलिस को मजबूती प्रदान करेगा ।

पुलिस और प्रशासन का संयुक्त कंट्रोल रूम –

इस महामारी के दौरान पुलिस और प्रशासन कंधे से कंधा मिलाकर चला है। म.प्र. के संपूर्ण जिलों में पुलिस और प्रशासन के संयुक्त नियंत्रण कक्ष बनाये गये,जिससे इस महामारी से निपटने में बहुत सहायता मिल रही है। ये नियंत्रण कक्ष भविष्य में भी रहेगें व इससे पुलिस और प्रशासन के समन्वय से किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थितियों से निपटना आसान होगा।

वेक्सिनेशन -

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फ्रंट लाइन पर कार्य कर रहे पुलिस व स्वाथ्य कर्मियों को लगातार कोरोना वेक्सीन लगाई जा रही है, जिससे यह अमला कोरोना से सुरक्षित रहे। मध्यप्रदेश में अभी तक 4.5 लाख लोगो को वेक्सीन लगाई जा चुकी है| पुलिस अभी भी कोरोना वेक्सीन सेंटर पर लोगों की लाइन लगवाकर इस जंग को जीतने मेंलोगो की सहायता कर रही है |

मास्क का उपयोग–

एक हमदर्द साथी की भूमिका में है पुलिस

पुलिस कोरोना की इस लड़ाई में खुद मॉस्क का उपयोग कर रही है व लोगों को मॉस्क लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जब तक कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं होता तब तक इस लड़ाई को पुलिस लड़ती रहेगी |

पुलिस को प्रशिक्षण-

कोरोना के बदलते स्वरुप को देखते हुए पुलिस को लगातार इस महामारी से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल सहित प्रदेश के समस्त जिलो मे यह कार्यक्रम जारी है |

पुलिस हरदम तैयार-

जिस तरह से कोरोना वायरस अपना स्वरुप बदल रहा है उसके अनुसार पुलिस भी अपनी तैयारी पूर्ण करके इसे लगातार रोक रही है। सम्पूर्ण सुरक्षा के साथ पुलिस इस महामारी को समाप्त करके ही दम लेगी| परन्तु जरुरत इस बात की है कि शासन स्तर पर कोई ठोस नीति बनाई जाये जिससे कोरोना आपदा व भविष्य मे आने वाली ऐसी अपदाओ से आसानी से निपटा जा सके |

निष्कर्ष

इस प्रकार हमने देखा कि इस पुस्तिका के भाग एक के अध्याय 1 में हम पाते हैं कि किस तरह कोरोना का अभूतपूर्व संकट विश्व नें झेला। कोरोना क्या है, कहाँ से आया, संकट कैसे बना तथा मध्यप्रदेश में कोरोना का क्या प्रभाव रहा। अध्याय 2 लॉकडाउन के बारे में स्पष्ट करता है यह क्या है, इसे क्यों व कब लगाना पड़ा, तथा इसके कानूनी प्रावधान क्या हैं। अध्याय 3 में हमने इसकी चुनौतियों को जाना व समझा। मजदूरों व गरीब जनता पर इस कोरोना काल व लॉकडाउन में क्या बीती। पुलिस तथा प्रशासन ने कैसे अपने आप को तैयार किया, व्यापारियों ने कैसे स्वयं को समेटा।अध्याय 4 में प्रशिक्षुओं द्वारा शोधकार्य करते हुए जो आँकड़े प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भाग दो में हम जब जाते हैं तो अध्याय 5 में हम पाते हैं कि मजदूरों की घर वापसी पुलिस का विभिन्न विभागो से समन्वय, जनता से सहायता लेने पर विचार किया गया है। कोरोना वारियर्स ने कैसे काम किया और फिर कार्य की जिलावार समीक्षा की गई है। अध्याय 6 में समस्या का समाधान तथा पुलिस की सेवात्मक कार्यप्रणाली के साथ नियंत्रण कार्य का विश्लेषण है। भाग तीन में पुलिस की समग्र भूमिका एवं अध्याय 8 में कोरोना से शहीद हुए पुलिस के जांबाजों को श्रद्धा सुमन अर्पित किये गये हैं। अध्याय 9 में हम बदलाव की बयार को समझते हैं तथा पुलिस की नई छवि पर विचार करते हैं। अध्याय 10 में सतत चुनौतियों और पुलिस की नई पर प्रकाश डाला गया है।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है की भारत में इस तरह की आपदाये वर्तमान से पूर्व भी आती रही हैं। जीवन के विकास के साथ ही इनका आस्तित्व भी रहा है। मानव के प्रारम्भिक आस्तित्व से ही चेचक जैसी महीमारी भी रही है जो दुनिया में सबसे लम्बे समय तक कहर बरपाती रही। प्लेग, स्पेनिश फ़्लू, हैजा आदि महामारियों ने करोड़ों लोगों को असमय ही अपने घतक जबड़े में जकड़ कर मौत की नींद सुला दिया। इतिहास में हम पाते हैं कि इन महामारियों को ईश्वरीय प्रकोप के रूप में देखा जाता था तथा विज्ञान और संचार के साधनों के अभाव तथा चिकित्सा विज्ञान के सीमित होने के कारण इन पर नियंत्रण कठिन होता था। वर्तमान कोरोना जैसी महामारी से बचाव हेतु अनेक नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं | पिछली सदी में स्पेनिश फ़्लू से भारत में ही लगभग एक करोड़ से अधिक लोग मरे गए| कोविड-19 इक्कीसवीं सदी में सबसे बड़ी चुनौती बनाकर सामने आया हैं, किन्तु संचार के साधनों एवं जागरूकता के विस्तार के कारण इसकी भयावहता से मानव जाति को सुरक्षा प्राप्त हुई हैं| भोपाल, उज्जैन, सागर, छतरपुर, मुरैना, ग्वालियर, बड़वानी, पन्ना जिलों के प्रशिक्षुओ द्वारा किये अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आया की शासन और पुलिस द्वारा उठाये गए कदम से इस महामारी को नियंत्रित किया गया और जनता को सुरक्षा प्रदान कर भय मुक्त भी किया| दुर्भाग्यवश भविष्य में यदि इस प्रकार की किसी आपदा का सामना हमे करना पड़ा तो इस पुस्तक के माध्यम से बचाव, सतर्कता, और की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में स्पष्टता रहेगी| आशा है यह सार तत्व आने वाले समय में एक दस्तावेज के रूप में देखा जाएगा। हमारा प्रयास है कि यह एक सत्यापित दस्तावेज के रूप में विभाग और समाज के मार्गदर्शन का आलेख होगा।

मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल

संपर्क: 0755 –2523911

Email: mppabhopal@gmail.com